BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 1003/2024

MR ASHOK KUMAR AND ANR ....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ....RESPONDENT (S)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 1373/2024

(NEWS ITEM TITLED "HOW SAND MINERS LAID ROAD ACROSS YAMUNA BETWEEN DELHI AND GHAZIABAD" APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 30.11.02024)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023

BITTU ……..…......APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ….........RESPONDENTS

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF U.P. BY SECRETARY, GEOLOGY AND MINING DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 23.07.2025	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 29.11.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 1	
3.	COPIES OF THE LETTERS DT. 16.07.2025 AND 17.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 2 AND 2A	
4.	COPY OF LETTER DT. 17.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF LETTER DT. 20.07.2025 AND 10.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 3A AND 3B	
6.	COPY OF THE LETTER DT. 12.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

7.	**COPY OF THE REPORT DT. 19.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-5**	
8.	**COPY OF THE LETTER DT. 24.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-6**	
9.	**COPY OF THE LETTER DT. 24.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-7**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 09.10.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 1003/2024

MR ASHOK KUMAR AND ANR ....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ....RESPONDENT (S)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 1373/2024

(NEWS ITEM TITLED "HOW SAND MINERS LAID ROAD ACROSS YAMUNA BETWEEN DELHI AND GHAZIABAD" APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 30.11.02024)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023

BITTU ….. ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH &ORS. ....**RESPONDENTS**

SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE CHIEF SECRETARY,GOVERNMENT OF U.P. BY SECRETARY, GEOLOGY AND MINING DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH THEORDER DATED 23.07.2025

1. That the present response is being filed by the Answering Respondent on behalf of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. That the undersigned has been duly authorized by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, who has also approved the present response, to file thesame in the present matter. It is further affirmed that the Answering Respondent is well acquainted with the facts and circumstances of the case and, on the basis of official records, is fully competent and empowered to swear and submit the present response before this Hon'ble Tribunal.

I. BACKGROUND OF THE MATTER:

2. That in the present matter the applicant has alleged illegal and unregulated sand mining in the Yamuna riverbed/floodplain in District Ghaziabad (U.P.) and adjoining areas of Delhi, as well as violation of Environmental Clearance (EC) conditions by the project proponent, M/s. New Panther Security Guard Services.

NOTARY
JITENDRA KUMAR SOOB
Advocate & Notary
Lko. U.P. India
Reg. No. 31(37)/2000
GOVT. OF U.P.
07-10-2025

3. That vide order dated 23.07.2025, this Hon'ble Tribunal has directed the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi to submit their responses regarding preventive and ameliorative measures taken to curb illegal sand mining and to ensure compliance with the guidelines.

4. Accordingly, the present affidavit is filed on behalf of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.

II. FURTHER PROGRESS AND MEASURES TAKEN

5. That the State Government has constituted a District Level 8-Member Task Force under the leadership of the District Magistrate vide Government Order No. 1/435766/2023 dated 29.11.2023. This Task Force is mandated to take effective action against illegal mining and transportation in the state, conduct surprise inspections and ensure regular enforcement. The members of the District Level Task Force are as follows:-

S. No.	Designation	Post
1.	District Magistrate	President
2.	SSP/SP/DCP	Member
3.	ADM (F/R)/In-Charge Mining	Member

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P. India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

07-10-2025

4.	DFO	Member
5.	SDM	Member
6.	DSP/ACP	Member
7.	ARTO	Member
8.	SMO/MO/MI	Member / Secretary

A true copyoftheGovernmentOrder is annexed herewith as**ANNEXURE-1.**

6. That the Additional Chief Secretary upon the directions of the Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh has vide letter No. 162 dated 16.07.2025 directed District Magistrate, Ghaziabad to coordinate with District Magistrates and officers of Police Department of the bordering districts of Delhi State and ensure necessary action in the matter. Further, Secretary, Geology & Mining, Government of Uttar Pradesh vide letter No. I/1028836/2025 dated 17.07.2025 has directed the District Magistrate, Ghaziabad to conduct joint meeting with District Magistrate, North Delhi and District Magistrate, North-East Delhi, formulate an action plan and ensureno illegal mining/transportation takes place in Yamuna floodplain/Delhi-U.P. border region.

The True copies of the above letters are annexed as **ANNEXURE-2 AND ANNEXURE-2A.**

7. That Secretary, Geology & Mining, Uttar Pradesh, vide letter No.I/1028601/2025 dated 17.07.2025, has also requested Principal Secretary, Revenue Department,

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

07-10-2025

Government of Uttar Pradesh to initiate necessary steps in respect of joint inter-state demarcation of Yamuna floodplain/ Delhi- U.P. border region.

A Copy of the letter is annexed herewith as **ANNEXURE-3**.

8. That the Chief Secretary, Uttar Pradesh, vide letter No. I/1031025/2025 dated 20.07.2025 and again vide letter No. I/1084262/2025 dated 10.09.2025, has highlighted the Zero tolerance approach towards illegal mining in the State of Uttar Pradesh and has also requested the Chief Secretary, Delhi State to direct the District Magistrates of bordering districts to coordinate with District Magistrate, Ghaziabad and ensure prevention of illegal sand mining and transportation in the border region.

The True copies of the above letters are annexed as **ANNEXURE-3A AND ANNEXURE-3B.**

9. That the Action Taken Report has been submitted by the District Magistrate, Ghaziabad vide letter No. 686 dated 12.08.2025. That the letter contains the details of meetings held, decisions taken, directives issued, enforcement actions and compliance measures related to sand mining. The letter is annexed as **ANNEXURE-4.**

III. **JOINT INTER-STATE MEETING HELD ON 13.08.2025**

10. That as per report dated 19.08.2025 submitted by the Mines Officer, Ghaziabad, a joint inter-state meeting was organized on 13.08.2025 between administrative and police officials of Districts Ghaziabad, Gautam Budh Nagar and Baghpat

NOTARY GOVT. OF U.P. JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P. India Reg. No. 31(37)/2000

07-10-2025

(U.P. side) and Districts North Delhi and North-East Delhi (Delhi side) with the objective of preventing illegal mining along the banks of river Yamuna / Delhi-U.P. border region.

11. That in the said meeting, the District Magistrate, North-East Delhi apprised that no mining activity is permitted in the Yamuna River in Delhi, and consequently, no mining permits are issued and no Task Force has been constituted in Delhi. It was further informed that any incidents of illegal mining are dealt with by the concerned revenue or police authorities. The District Magistrate also stated that in the Sonia Vihar area of North-East Delhi, evidence of illegal mining was noticed about two to three years ago, and that recently a stock of ordinary sand was observed in the area. However, no incident of illegal mining has been reported in the last one year.

12. It was further emphasized in the meeting that there is a need for the constitution of a Joint Inter-State Task Force and the establishment of a Communication Plan amongst the officials of the border districts of Delhi and Uttar Pradesh to ensure prompt and coordinated action against illegal mining in the Yamuna riverbed / Delhi- U.P. border region. It was also agreed to conduct a Table-Top Exercise involving the concerned Tehsil officials as a precursor to the proposed Joint Inter-State Demarcation and further necessary action is being taken in the matter. A true copy of the report is annexed as **ANNEXURE-5.**

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P. India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

07-10-2025

13. That a letter dated 24.09.2025 was written by the Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad to the Sub-Divisional Magistrate, Loni, Ghaziabad wherein it has been stated that, as per discussions held on the WhatsApp Group, the meeting for the Table Top Exercise has been scheduled on 13.10.2025 at 12:00 Noon in the office of Tehsil Loni. The said letter further directs the Sub-Divisional Magistrate to coordinate with the concerned officials and ensure that the Table Top Exercise for Joint Inter-State Demarcation of the Delhi- Uttar Pradesh border is conducted on the scheduled date and time, so that the Government may be apprised accordingly.

A Copy of the letter dt. 24.09.2025 has been annexed herewith as**ANNEXURE-6.**

IV. NOMINATION OF THE MEMBERS OF JOINT INTER-STATETASK FORCE (DISTRICT GHAZIABAD)

14. That further vide letter dated 24.09.2025, the Additional District Magistrate (Finance and Revenue), Ghaziabad, addressed to the District Magistrates of Gautam Buddh Nagar, Baghpat, North Delhi, and North East Delhi, referred to the meeting held on 13.08.2025 whose minutes of meeting were issued on 18.08.2025, wherein it was unanimously agreed to constitute a Joint Inter-State Task Force comprising the aforesaid districts for effective prevention and action against illegal sand mining/ transportation in the Yamuna river in the Delhi-Uttar Pradesh border areas. In compliance thereof, five officers of District Ghaziabad have been nominated: -

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P. India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

07-10-2025

a The Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad;

b Sub-Divisional Magistrate, Loni;

c Assistant Commissioner of Police, Loni;

d Mines Officer, Ghaziabad; and

e the Assistant Regional Transport Officer (Enforcement), Ghaziabad. The said letter further requested that officers be nominated by the other respective districts as well, so that the constitution of the Joint Inter-State Task Force could be completed and the Government duly apprised thereof. A Copy of the letter dt. 24.09.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE-7.**

15. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

RESPONDENT

THROUGH COUNSEL

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

07-10-2025

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 07-10-2025

PLACE: LUCKNOW

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 1003/2024

MR ASHOK KUMAR AND ANR ....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ....RESPONDENT (S)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 1373/2024

(NEWS ITEM TITLED "HOW SAND MINERS LAID ROAD ACROSS YAMUNA BETWEEN DELHI AND GHAZIABAD" APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 30.11.02024)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

07-10-2025

BITTU ....APPLICANT VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...........RESPONDENTS

NOTARY JITENDRA KUMAR SOOD Advocate & Notary Lko. U.P India Reg. No. 31(37)/2000 GOVT. OF U.P.

AFFIDAVIT

I. Mala Srivastava aged about 45 years. W/o Shri Nitin Bansal presently posted as Secretary. Geology and Mining Department. Government Uttar Pradesh. do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. That I, theDeponent in the official capacity mentioned above, I am acquainted the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That I state that the contents of the above response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

07-10-2025

Jitendra Kumar Sood
Advocate & Notary
8-A, Clay Square Mathur Marg
Lucknow, U.P. INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 7th day of October, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY GOVT. OF U.P.
JITENDRA KUMAR SOOD
Advocate & Notary
Lko. U.P. India
Reg. No. 31(37)/2000

Sworn & Verified
Before me.
07-10-2025
Jitendra Kumar Sood
Advocate & Notary
8-A, Clay Square Mathur Marg
Lucknow, U.P. INDIA

DEPONENT

I identify the deponent/executant/surety who has signed/put LTI/RTI before me.
A.K. Jaiswal
Adv.
07/10/025

File No.86-01099/136/2019- 559

I/435766/2023

<u>कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार-।।।,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक ~~28~~ 29/11/2023

विषयः- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त (DCP)	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ प्रभारी खनन	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
5.	उपजिलाधिकारी	सदस्य

6.	पुलिस क्षेत्राधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8.	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी /खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/ सचिव

3. साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तानुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Digitally Signed by अनिल
(अनिल कुमार-III)
Date: 28-11-2023 18:21:29
Reason: Approved

<u>संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक,उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

एस.पी. गोयल
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

संख्या: मुमस/162/(अ०मु०स०) चौतीस-3/अधि०/2025

उत्तर प्रदेश शासन
चतुर्थ तल, लोक भवन
लखनऊ – 226001
फोन : 0522-2289013, 2289135
फैक्स : 0522 – 2226329
E-mail : spgoyal@nic.in

प्रिय महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के पत्र संख्या CMO/2025/1542, दिनांक 07 जुलाई, 2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की रोकथाम हेतु Joint Inter-State Demarcation के आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित को दिए जाने की अपेक्षा की गई है।

2- दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को टाईम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित खबर "How Sand Miners Laid Road Across Yamuna Between Delhi And Ghaziabad" का संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याचिका ओ0ए0 संख्या 1373/2024 योजित की गई, जिसमें दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-17 व 19 निम्नवत् हैं :-

"17. We have observed that the District Magistrate (North East), Delhi did not ascertain about action taken by DCP, Outer North and did not send any reply to the District Magistrate, Ghaziabad.

19. In the facts and circumstances of the case, the District Magistrate (North East), Delhi is directed to obtain the information regarding action taken on the communications received from the District Magistrate, Ghaziabad and also to inform the District Magistrate, Ghaziabad about the action taken and to file action taken report in this regard before this Tribunal."

उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 1373/2024 में अन्तिम सुनवाई की तिथि 23 जुलाई, 2025 निर्धारित है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया दिल्ली प्रदेश केसीमावर्ती जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)
16/7

श्री दीपक मीना
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, उ0प्र0।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-I/1028836/2025

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ: दिनांक 17-07-2025

विषयः-यमुना बाढ़ क्षेत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-593/ख0अनु0-गाजि0/2025-26, दिनांक 09.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 व दिल्ली राज्य के सीमा क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन न हो, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नोर्थ, दिल्ली एवं जिलाधिकारी नोर्थ ईस्ट, दिल्ली व अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर कार्ययोजना बनाने व प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)

सचिव।

Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
Date: 17-07-2025
17:01:28

ANNEXURE-3

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या-I/1028601/2025
लखनऊ: दिनांक17-07-2025

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपयामा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित मा0 मुख्यमंत्री, दिल्ली के पत्रांक-CMO/ 2025/1542, दिनांक 07.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Joint inter-state demarcation हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किकृपया यमुना बाढ़ क्षेत्र में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा के Joint inter-state demarcation के सम्बन्ध में यथावाश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(माला श्रीवास्तव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Arun Kumar
Date: 18-07-2025
10:09:53

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
Date: 17-07-2025
15:09:42

ANNEXURE-3A

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

अर्द्धशासकीय पत्र
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊः दिनांक-20-07-2025

प्रिय महोदय,

कृपया श्री नवीन कुमार चौधरी, भा0प्रा0से0 अतिरिक्त मुख्य सचिव (सि0 एवं बा0 नि0) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या-ए0सी0 (आई0एण्डएफ0सी0)/2025/10 दिनांक 17.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम-इब्राहिमपुर एवं हिरनकी के ग्राम वासियों श्री देवेन्द्र त्यागी, श्री प्रदीप कुमार त्यागी, श्री दिनेश त्यागी आदि के शिकायती प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुये ग्राम-पचायरा में अवैध खनन, यमुना नदी की धारा को मोड़े जाने एवं कृषि भूमि व बाढ़ बचाव कार्यों की क्षति रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में अवगत कराना है कि जनपद-गाजियाबाद में ग्राम-पचायरा में 02 बालू खनन क्षेत्र स्थापित है, जिसमें वर्तमान में 01 बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड-2 स्वीकृत है तथा सिंचाई विभाग व वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सी0टी0ओ0 प्राप्त कर तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, लखनऊ से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 12.11.2021 से 5 वर्ष हेतु संचालित है। उक्त की सूचना पूर्व में भी जिलाधिकारी कार्यालय गाजियाबाद के पत्र दिनांक 28.06.2025 द्वारा अधीक्षण अभियंता (एफ0सी0-II), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली एवं मुख्य अभियंता जोन-1, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली को दी गयी है। उक्त बालू खनन पट्टे की जाँच समय-समय पर गठित टास्क फोर्स, राजस्व विभाग एवं खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा की जाती है। वर्तमान में मानसून सत्र होने के कारण खनन कार्य पूर्णतः बंद है|

अवैध खनन के विरूद्ध Zero tolerance की नीति के तहत गठित टास्क फोर्स के माध्यम से नियमित समीक्षा करते हुये अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

दिल्ली की सीमा के अन्तर्गत यमुना नदी में किये जा रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 30.11.2024 व पत्र दिनांक 04.12.2024 द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, सब-डिविजन, समयपुर बदली, आउटर नॉर्थ दिल्ली व जिलाधिकारी नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली को अवगत कराते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।मा० न्यायालय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित याचिका सं० OA No. 1003/2024 Mr. Ashok Kumar and Anr. Versus State of UP & Ors. में पारित आदेश

दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में दिनांक 11.03.2025 को खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निरीक्षण के दौरान बालू खनन पट्टा क्षेत्र में मा० एन०जी०टी० के आदेश के क्रम में खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया, परन्तु यमुना नदी के दूसरी ओर दिल्ली की तरफ नदी की जलधारा में सक्शन पम्प, लिफ्टर व नॉव आदि की सहायता से साधारण बालू का अवैध खनन होता देखा गया। उक्त के सम्बंध में पुनः पत्र सं0 321 दिनांक 20.03.2025 द्वारा दिल्ली की ओर से यमुना नदी में किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, नोर्थ ईस्ट दिल्ली के पत्र सं० SDM/KN/2025/765 दिनांक 07.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र दिनांक 20.03.2025 में उल्लिखित अवैध खनन क्षेत्र ग्राम सुंगरपुर दिल्ली, जो डी०सी०पी० (आउटर नोर्थ) व जिलाधिकारी, नोर्थ के क्षेत्रान्तर्गत आता है, में अवैध खनन के सम्बंध कार्यवाही किये जाने के लिये पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः कृपया सम्बन्धित सीमा जनपदों के जिलाधिकारी गण को जिलाधिकारी गाजियाबाद से समन्वय स्थापित करते हुए सीमा क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SINGH
Date: 20-07-2025
19:10:00

(मनोज कुमार सिंह)

श्री धर्मेन्द्र भा0प्रा0से0,
मुख्य सचिव,
दिल्ली सरकार।

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव।

अर्द्धशासकीय पत्र।/1084262/2025
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊः दिनांक-10-09-2025

कृपया अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2686/SDM/AP/2025/0909680 4660/11510, दिनांक 02.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र, विशेषकर दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर नदी के तटबंधों के पास कथित अवैध रेत खनन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुये संयुक्त सर्वेक्षण व demarcation हेतु तथा सक्रिय समर्थन से इस समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने, प्रशासनिक स्पष्टता सुनिश्चित किये जाने एवं इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

मेरे अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-।/1031025/2025, दिनांक 20.07.2025 द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि अवैध खनन के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की Zero tolerance नीति के तहत शासनादेश संख्या-।/435766/2023, दिनांक 29.11.2023 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस, राजस्व, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभागों के अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्तमान में मानसून सत्र होने के कारण खनन कार्य पूर्णत: बन्द है।

जिलाधिकारी, नोर्थ, दिल्ली एवं जिलाधिकारी नोर्थ ईस्ट, दिल्ली व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर कार्ययोजना तैयार किये जाने एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासन के पत्र संख्या-।/1028836/2025, दिनांक 17.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को निर्देश दिए गए हैं।

जनपद गाजियाबाद के पत्र संख्या-692/ख0अनु0-गाजि0/25-26, दिनांक 18.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, गाजियाबाद, जिलाधिकारी, नोर्थ ईस्ट, दिल्ली, अपरजिलाधिकारी, नोर्थ, दिल्ली, अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद, सहायक पुलिस आयुक्त, बुराड़ी, सहायक पुलिस आयुक्त, ग्रेटर नोएडा, सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी आदि की बैठक दिनांक 13.08. 2025 को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की रोकथाम के लिये Joint Inter-State Demarcation एवं कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित हुई।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यमुना नदी के तटबंधों पर अवैध खनन रोकने हेतु उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

सरकार की ओर से सक्रिय समर्थन प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

अत: कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को समन्वय कर किसी भी दशा में अवैध खनन/परिवहन न होने देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>।

भवदीय,

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR
Date: 10-09-2025
16:40:38

(दीपक कुमार)

श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से.,
मुख्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-4

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसं0 :- 686 /ख0अनु0-गाजि0/25-26 दिनांकः 12/08/ 2025

विषयः- मा0 न्यायालय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1373/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 के सम्बंध में ।

महोदया ,

मा0 न्यायालय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 1373/2024**News item titled "How sands miners laid road across Yamuna between Delhi and Ghaziabad" appearing in the Times of India dated 30.11.2024** व ओ0ए0सं0 1003/2024 तथा ओ0ए0 सं0 724/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत हैं :-

"34. The Hon'ble Chief Minister of Delhi is stated to have written a letter to Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh with reference to necessity of coordination and cooperation for preventing illegal mining in the inter-state areas of river Yamuna.

35. The Chief Secretary of Government of NCT of Delhi and Chief Secretary of Government of Uttar Pradesh are directed to file their responses regarding preventive and ameliorative measures taken regarding illegal mining and for compliance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 at least three days before the next date of hearing fixed."

उपरोक्त के क्रम में प्रकरण से सम्बंधित विवरण निम्नवत है :-

A. **Preventive and ameliorative measures taken regarding illegal mining**:

1. In compliance with the directions given under Government Order number **I/435766/2023** dated **29.11.2023**, 08 membered District Level Task Force has been constituted to prevent illegal mining and transportation with members as under: -

Sl. No.	Officer	Post
1.	District Magistrate, Ghaziabad	President

2.	Dy. Commissioner of Police, Rural	Member
3.	Additional DM (Finance/Revenue)	Member
4.	Divisional Forest Officer, Ghaziabad	Member
5.	SDM, Sadar/Loni/Modinagar	Member
6.	ACP, Loni	Member
7.	Additional RTO	Member
8.	Mines Officer, Ghaziabad	Member Secretary

2. A meeting of the District Level Task force was called on **14.05.2025** to ensure compliance with the directions issued by Hon'ble Chief Minister as mentioned in the department's letter number **I/938369/2025** dated **14.04.2025** and following directions were issued by the District Magistrate, Ghaziabad: -
    a. Joint checking to be conducted by the Task Force members at least twice a month and ensure effective coordination through a dedicated WhatsApp group.
    b. With respect to 02 active mining leases out of total 04 mining areas in the district, no illegal mining shall take place and due compliance with relevant rules and Ho'ble NGT guidelines be ensured during operation of these leases. ***(Annexure-1)***
3. Also, a letter **No. 581/Min. Deptt.-Ghaz./2025-26** dated **02.07.2025** was issued by Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad **to both the lease and permit holder** in the district and to all the members of District Level Task Force highlighting closure of River Bed Mining activities during monsoon period starting from **01.07.2025 till 30.09.2025** and that *no mining activity shall take place during that period in the said leasehold area.*
4. Further, during District Level Task Force meeting dated **14.07.2025**, following instructions were issued: -
    a. That river bed mining activities are completely prohibited during Monsoon Season (July to September) and it need to be ensured that no mining activities are performed in the concerned area. If any violators are found, they need to be prosecuted for illegal mining. Also, **Delhi-UP border areas need to be monitored for illegal mining using drone videography.** Apart from that, ACP Loni was instructed to take action under Gangster Act if any repeat offender is found involved in illegal mining. ***(Annexure-2)***

5. Regular inspection of River bed areas has been conducted and **03 FIRs** were lodged against illegal miners as well as communication was sent to the Delhi administration. Also, penalty amounting Rs 14,94,560\- has been imposed on leaseholder of Pachayera-02 and Rs 6,03,000/- on permit holder of Nauraspur for violating rules during mining operation and recovery of the same is under process.
6. A summary of inspections so conducted are tabulated as under: -

Sl. No.	Date of Inspection	Inspected by	Location	Outcome
1	14.05.2024	Mines Officer, Ghaziabad & Tehsildar, Loni	Near Village Pachayera, Tehsil Loni	02 JCB machine, 02 tractor, and 07 trolley were seized doing illegal sand mining and **FIR No.0251** dated 01.06.2024 was registered. ***(Annexure-3)***
2	24.11.2024	Joint Team of officials from Directorate of Geology & Mining, Lucknow and district administration, Ghaziabad	On the banks of the Yamuna River near Delhi-Uttar Pradesh border	Alteration of the natural flow of river Yamuna and illegal mining on Delhi side was observed and the same was communicated via **letter dated 30.11.2024** to ACP Samaypur Badli, Outer North Delhi informing about the illegal mining activity happening on the border side of Delhi and again **letter dated 04.12.2024** was written to DM North-East Delhi informing the same. ***(Annexure-4 &5)***
3	17.12.2024	Mines Officer,Ghaziabad	Delhi-Uttar Pradesh border, between the villages of Tehri Daulatpur and Sungarpur in Delhi	Ordinary sand was being mined by partially damming the Yamuna River, one tractor with trolley was seized and **FIR No. 0622** dated 17.12.2024 was registered. ***(Annexure-6)***
4	11.01.2025	Mines Officer,Ghaziabad	On the banks of the Yamuna River near Delhi-Uttar Pradesh border	Two tractors with trolley were seized at the site and **FIR No. 0016** dated 11.01.2025 was registered. ***(Annexure-7)***

5	20.01.2025	SDM Loni, Mines Officer Ghaziabad, Surveyor, Ghaziabad.	Village Pachayera	No illegal mining was observed in the allotted lease area. *(Annexure-8)*
6.	11.03.2025	Mines Officer,Ghaziabad	On the banks of river Yamuna opposite village Pachayera.	Fully mechanized illegal mining was observed on the Delhi side of river Yamuna and the same was communicated to **DM North-East Delhi via letter dated 20.03.2025.** *(Annexure-9)*
7	31.03.2025	Additional D.M. (F/R), Ghazaiabad and Senior Mines Officer,Ghaziabad	Village Pachayera	No mining activity was observed on leased site of Pachayera-2 in pursuance to order dated 14.02.2025 of Hon'ble NGT.Also, no damage to the agricultural lands were observed and river was found to be flowing naturally. *(Annexure-10)*
8.	09.07.2025	Joint Team of officials from Directorate of Geology & Mining, Lucknow and Mines Officer, Ghaziabad	Village Pachayera and Nauraspur	No mining activity was observed and no machine were found due to closure of lease site in monsoon period. *(Annexure-11)*

7. A letter No 1542 dated 07.07.2025 was written by **Hon'ble Chief Minister of Delhi** to **Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh** highlighting the issue of *illegal sand mining* in Yamuna flood plain in the Delhi-UP border areas as well as need for *regulatory enforcement and inter-state co-ordination* between the boundary districts of Delhi and UP. Taking cognizance of the same as well as the O.A. number 1373/2024 pending before Hon'ble NGT and the directions given in the order dated 30.04.2025, a letter number 162 dated 16.07.2025 was sent by **Additional Chief Secretary, Chief Minister, UP Government** and letter no. I/028836/2025 dated 17.07.2025 by **Secretary, Department of Geology & Mining, Uttar Pradesh** to District Magistrate, Ghaziabad with instructions to take necessary action with respect to the issues highlighted above.

8. Accordingly, a meeting has been scheduled on 13-08-2025 consisting of **District Magistrates of Ghaziabad, Baghpat and Gautam Buddha Nagar** from UP side and **District Magistrates of North Delhi and North East Delhi** along with members of Police of the concerned areas. Key agenda of meeting is as under: -
   a. Creation of *inter-state Joint Task force* on the lines of District Level Task Force for joint action if any illegal mining is detected.
   b. Nominating members from the local administration of both sides for quick communication and prompt action.
   c. Taking action under relevant mining laws as well as Hon'ble court guidelines against illegal miners & transporters.
   d. Taking action against landholders on whose land illegal sand mining has taken place to create deterrence. ***(Annexure-12)***

B. Compliance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020

1. **Preparation of District Survey Report (DSR):**
   a. DSR for district Ghaziabad has been prepared as per guidelines issued by SEIAA/SEAC and communicated to the districts through Letter Number 2182 dated 12.02.2024 issued by Director, Geology and Mining Directorate, Lucknow incorporating guidelines mentioned in Pg.23 of Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016. It was approved by SEIAA on 27.12.2024 after appraisal from SDC and obtaining NOCs from Irrigation and Forest department.
   b. As per DSR, 04 lease areas has been identified and are operated after conducting replenishment study and deciding quantity of Mineral available each year.
   c. The information about DSR and leases operational in the district has been uploaded on NIC website of district Ghaziabad. ***(Annexure-13)***
2. **Hon'ble Supreme Court Directions and Environmental Compliance**:
   a. Obtaining prior Environmental Clearance (EC) and Consent to Operate (CTO) from the competent authorities is mandatory before operating sand mining leases in the District of Ghaziabad.
3. **Measures to Protect Natural River Flow and Meandering:**
   a. The Lease Deed/Letter of Intent issued to leaseholders expressly prohibits any hindrance to the main flow of the river, which is regularly monitored by the Mining Department and the UPPCB.
4. **Protection of Embankments and Safe Distance for Mining:**

a. As per the applicable regulations, no mining is permitted within a width of 100 meters from the active edge of embankments. In fact, a safe distance of **600 meters** has been maintained for operation of mining leases, and **NOC from the Irrigation Department** has been duly obtained verifying the above distance. ***(Annexure-14)***

5. **Groundwater Protection and Mining Depth Restrictions:**
   a. Mining operations do not exceed a depth of 3 mtrs as prescribed in the Environmental Clearance.
   b. Project Proponents are bound to conduct hydrological study of their leased areas.
6. **Protection of Biodiversity:**
   a. No turtle habitation or nesting zones exist in mining sites of district Ghaziabad and accordingly a NOC has been issued by the Department Of Forest for the same. ***(Annexure-15)***
   b. CPCB has also observed the protection of biodiversity during a joint committee inspection on 30.11.2024 which highlighted that: "*During site visit by joint committee, winter migratory birds (Common swift or swallows, Sea gulls, Moorhen etc.) were observed.*" ***(Annexure-16)***
7. **Public Information and Grievance Redressal:**
   a. That the updated District Survey Report (DSR-2024) has been uploaded on the District NIC website. Public feedback was invited by uploading the draft DSR for 30 days, and public hearings were conducted by UPPCB.
   b. A well-defined grievance redressal system, Integrated Grievance Redressal System (IGRS) at **https://jansunwai.up.nic.in/**, is operational with strict timelines for disposal of complaints.
8. **Technological Monitoring and Control of Mineral Movements:**
   a. The following websites are operational in state of UP managed centrally by Directorate of Geology and Mining with district level access to the officials, project proponents etc. for End-to-end computerization of sand mining operation including online issuance of letter of Intent, tracking the sand production, e- Transit pass generation and other incidental operations such as royalty payment and online penalty deposit: -

Sl. No.	Website	Purpose
1.	https://upmines.upsdc.gov.in/	For generation of Transit Pass during transport of Minor Minerals and payment of statutory dues.

2.	https://upmdss.in/	To monitor Minor Mineral transport and take action against any anomaly observed
3.	https://upminemitra.in/	To issue Letter of Intent/ Deed to the leaseholders.

9. Installation of Weighbridges and RFID Scanners

a. An approach path is constructed from the lease area to main route for transportation and the provision for a check post consisting of **RFID scanner, PTZ camera and weighbridge** duly mentioned in the Lease deed/ Letter of Intent issued to the leaseholder.

b. The weighbridge and RFID scanners are integrated to e-MM11 generation module on upmines.upsdc.gov.in and data is centrally managed by Directorate of Geology & Mining, UP through Integrated Command & Control system with local access to district level officials for data verification.

c. Prompt alerts are generated at upmdss.in portal in case of any anomaly with loading volume or transportation of mineral without issuance of e-MM11 with provision of automatic imposition of penalty.

10. High-Security Transit Permits

a. All e-MM11 issued from lease sites are printed on **High Security Papers** with features such as QR codes for online verification, invisible ink to prevent tampering etc.

अतः उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

12/8/...

(रविन्द्र कुमार मॉदड़)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

Annexure-1

जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक दिनांक 14.05.2025 का कार्यवृत :–

अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर रोकथाम के लिये जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को आहूत की गयी, जिसमें जनपद गाजियबाद में अवैध खनन, अवैध परिवहन व अवैध भण्डारणों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बंध में विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुये :–

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री सौरभ भट्ट	अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)	राजस्व
2	डा0 सलोनी	सहायक वन संरक्षक	वन विभाग
3	श्री अरूण दीक्षित	उपजिलाधिकारी, सदर	राजस्व (वी0सी0 के माध्यम से)
4	श्री राजेन्द्र शुक्ला	उपजिलाधिकारी, लोनी	राजस्व (वी0सी0 के माध्यम से)
5	श्री निखिल चकवर्ती	उपजिलाधिकारी, मोदीनगर	राजस्व (वी0सी0 के माध्यम से)
6	श्री सिद्धार्थ गौतम	सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी	पुलिस विभाग (वी0सी0 के माध्यम से)
7	श्री मनोज मिश्रा	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	परिवहन विभाग
8	श्री सौरभ चतुर्वेदी	खान अधिकारी	खनन

उपरोक्त आहूत बैठक के एजेन्डा बिन्दु निम्नवत् रहे :–

1. जनपद गाजियाबाद में अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के एन्ट्री पोइंट को चिन्हांकित किया जाना तथा बिना अभिवहन प्रपत्र/आई0एस0टी0पी0 के उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना।
2. टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक 15 दिन में अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिग पर कार्यवाही किये जाने हेतु वाहनों की संयुक्त जांच किया जाना।
3. जनपद में प्राप्त अवैध खनन की शिकायतों का पूर्ण परीक्षण कर विपक्षी का पक्ष सुनने के उपरान्त प्रकरण की आख्या उपलब्ध कराया जाना।
4. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर खनिज की ओवर लोडिंग किसी भी दशा में न होने पाये एवं ओवर लोडिंग को सोर्स पोइंट पर ही रोका जाये।
5. खनन माफियाओं के विरूद्व कड़ी कार्यवाही कर अवैध खनन पर रोकथाम किया जाना।
6. विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर अपने यूजर आई0डी0 द्वारा लॉगिन कर अपने–अपने तहसील सम्बंधित प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत नियमानुसार जांच कर आख्या अपलोड किया जाना।
7. वाहनों द्वारा वाहन की बाडी को बढाकर उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनो पर कार्यवाही किया जाना।
8. ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारणों को नियमित किये जाने के सम्बंध में।

शासन के पत्र सं0 I/938369/2025–86–01099/126/2025 दिनाक 17.04.2025, जो मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2025 को सम्पन्न समीक्षा बैठक/विडियो कांफ्रेंस में कार्यबल (टास्क फोर्स) के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग रोकने की कार्यवाही के सम्बंध मे दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि :–

- (1) **जनपद गाजियाबाद में संयुक्त रूप से माह में कम से कम 02 बार वाहनों की सघन जांच के सम्बंध में** :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी व खान अधिकारी गाजियाबाद आपस में समन्वय बनाते हुये माह में कम से कम 02 बार वाहनों की सघन जांच करे, जिसमें जनपद गाजियाबाद में अन्य राज्यो से उपखनिजो का परिवहन करने वाले

वाहनों के एन्ट्री पोइंट को चिन्हांकित किया जाये तथा बिना अभिवहन प्रपत्र/आई0एस0टी0पी0 एवं ओवरलोड कर उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त टास्क फोर्स का वाहट्स ऐप ग्रुप भी बनाया जाये, जिस पर वाहनों की जांच के सम्बंध में अपडेट दिया जाये। खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में अवैध खनन/अवैध परिवहन/ओवर लोडिंग पर कार्यवाही करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 182 वाहनों से रू0 73.31 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 297 वाहनों से रू0 176.14 लाख जुर्माना जमा कराया गया है।

(कार्यवाही– खान अधिकारी, गाजियाबाद व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद)

(2) **विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर प्राप्त आवदेनों के ससमय निस्तारण के सम्बंध में:–** खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विकसित विभागीय पोर्टल **upminemitra.in** पर साधारण मिट्टी खनन की अनुमति प्राप्त किये जाने के लिये आवेदन किये जाते है, जिसमें खान अधिकारी गाजियाबाद व सम्बंधित तहसीलदार द्वारा आख्या प्रेषित की जाती है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 24/एम0-228/2017 खनन नीति(x) दिनांक 07.04.2025 द्वारा लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के सम्बंध में निर्देशित किया गया है, ततक्रम में सम्बंधित तहसीलदार को पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बंध में पत्र प्रेषित कर दिशा निर्देश भी दिये गये है, परन्तु तद्दिनांक तक भी लम्बित आवेदनों का निस्तारण नहीं किया गया है। इस सम्बंध में निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी अपने स्तर से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें, साथ ही आने वाले ऋतुकाल को दृष्टिगत रखते हुये उपखनिज के भण्डारण से सम्बंधित प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(3) **बिना विनियमन शुल्क जमा कराये अथवा अवैध रूप से संचालित ईट भट्ठों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में :–** खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही ईट-भट्ठे का संचालन किया जायेगा। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, खान अधिकारी, गाजियाबाद के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित ईट-भट्ठों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि जनपद में कोई भी ईट-भट्टा का संचालन बिना विनियमन शुल्क जमा करें अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना न किया जायें।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(4) **अवैध बालू/मिट्टी खनन की जांच के सम्बंध में :–** उपखनिज के अवैध खनन के प्रकरणों के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 419/ख0अनु0-गाजि0/25-26 दिनांक 25.04.2025 में अवैध खनन से सम्बंधित प्रकरणो में जाच करते हुये पूर्ण परीक्षण कर विपक्षी का पक्ष सुनने के उपरान्त ही प्रकरण के निष्कर्ष के साथ आख्या जिला कार्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके उपरान्त खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नियमानुसार मा0 सक्षम न्यायालय में अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया जायेगा, जिससे अवैध खनन सम्बंधी प्रकरणों का निस्तारण समयान्तर्गत व गुणवत्तापूर्वक किया जा सकें।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(5) **जनपद गाजियाबाद में स्वीकृत बालू खनन पट्टों के सम्बंध में :–** खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी अन्तर्गत 04 बालू खनन क्षेत्र उपलब्ध है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :–

क्रम सं0	बालू खनन क्षेत्र	अवधि	खनन योग्य मात्रा (वार्षिक) घ0मी0 में	वर्तमान स्थिति
1	ग्राम पचायरा खण्ड–1	05 वर्ष	323600	लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया गया है, वर्तमान में पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	ग्राम पचायरा खण्ड–2	05 वर्ष	177737	वर्तमान में संचालित हैं।
3	ग्राम नौरसपुर	06 माह	22622 (छमाही)	वर्तमान में संचालित है।
4	ग्राम बदरपुर	06 माह	72844 (छमाही)	लेटर ऑफ इन्टेट जारी किया गया है, वर्तमान मे पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्त बालू खनन पट्टों के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 1003/2024 श्री अशोक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त संचालित बालू खनन पट्टो पर किसी प्रकार का अवैध खनन न होने पाये तथा बालू खनन पट्टो के संचालन सुसंगत नियमों के अधीन ही किया जाये।

(कार्यवाही– अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), उपजिलाधिकारी, लोनी , खान अधिकारी, गाजियाबाद व सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी)

(5) **<u>ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारणों को नियमित किये जाने के सम्बंध में</u> :–** इस सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारण, जिसका संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, की सघन जांच कर उक्त भण्डारणों को नियमित कराये जाने का प्रयास किया जाय, जिससे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की अवमानना न हो, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों का अवैध भण्डारण न हो।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, सदर व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by DEEPAK MEENA
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।
Date: 25-05-2025 14:33:30

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्र सं0:– 484 / गाजियाबाद टास्क फोर्स / 25–26 दिनांक: 25/05/ 2025

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 581 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 02/07/ 2025

1– उपजिलाधिकारी, लोनी।
2– सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी।

विषयः– मानसून अवधि (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) में खनन कार्य पूर्णतः बंद किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) प्रदेश के नदी तल में उपलब्ध उपखनिज बालू/मौरम का खनन व निकासी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड–2 में साधारण बालू के पांच वर्षीय स्वीकृत खनन पट्टा व ग्राम नौरसपुर में साधारण बालू के खनन अनुज्ञा क्षेत्र पर मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) में सतर्क दृष्टि बनाये रखे ताकि कोई बालू का खनन व निकासी कार्य न होने पाये तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

2/7/25

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उप पुलिस आयुक्त (ग्रामीण), गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी पट्टाधारक बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. मै0 निर्मल सेण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी–204 / 1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053।
6. टास्क फोर्स (खनन) के सभी सदस्यों को अनुपालनार्थ।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

Annexure-2

जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की VC के माध्यम से आहुत बैठक दिनांक 14.07.2025 का कार्यवृत :–

अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर रोकथाम के लिये जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय की अध्यक्षता में VC के माध्यम से दिनांक 14.07.2025 को आहूत की गयी, जिसमें जनपद गाजियाबाद में अवैध खनन, अवैध परिवहन व अवैध भण्डारणों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बंध में विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुये :–

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री सौरभ भट्ट	अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)	राजस्व
2	डा0 सलोनी	सहायक वन संरक्षक	वन
3	श्री अरूण दीक्षित	उपजिलाधिकारी, सदर	राजस्व
4	श्री राजेन्द्र शुक्ला	उपजिलाधिकारी, लोनी	राजस्व
5	श्री अजीत सिंह	उपजिलाधिकारी, मोदीनगर	राजस्व
6	श्री सिद्धार्थ गौतम	सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी	पुलिस
7	श्री मनोज मिश्रा	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	परिवहन
8	श्री सौरभ चतुर्वेदी	खान अधिकारी	खनन

उपरोक्त आहूत बैठक के एजेन्डा बिन्दु निम्नवत् रहे :–

1. वर्तमान में जनपद गाजियाबाद में 04 भण्डारण अनुज्ञप्तियॉं स्वीकृत है, इसके अतिरिक्त अन्य अवैध भण्डारणों पर जांच कर कार्यवाही किया जाना।
2. वर्षा ऋतु काल में (1 जुलाई से 30 सितम्बर तक) बालू खनन क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है, यदि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का साधारण बालू का खनन पाये जाये तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
3. जनपद गाजियाबाद में अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के एन्ट्री पोइंट को चिन्हांकित किया जाना तथा बिना अभिवहन प्रपत्र/आई0एस0टी0पी0 के उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।
4. टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक 15 दिन में अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिग पर कार्यवाही किये जाने हेतु वाहनों की संयुक्त जांच किया जाना।
6. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर खनिज की ओवर लोडिंग किसी भी दशा में न होने पाये एवं ओवर लोडिंग को सोर्स पोइंट पर ही रोका जाये।
7. खनन माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कर अवैध खनन पर रोकथाम किया जाना तथा दर्ज एफ0आई0आर0 पर सम्पूर्ण कार्यवाही किया जाना।
8. वाहनों द्वारा वाहन की बाडी को बढ़ाकर उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही किया जाना।
9. जनपद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना एन0ओ0सी0 प्राप्त किये तथा बिना विनियमन शुल्क जमा कराये भट्टे का संचालन करने वाले ईट–भट्टों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।
10. विभागीय पोर्टल **upminemitra.in** पर अपने यूजर आई0डी0 द्वारा लॉगिन कर अपने–अपने तहसील सम्बंधित प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत नियमानुसार जांच कर आख्या अपलोड किया जाना।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2025 को सम्पन्न बैठक/विडियों कांफ्रेंस में कार्यबल (टास्क फोर्स) के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग रोकने की कार्यवाही के सम्बंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश दिये गये कि :–

(1) **जनपद गाजियाबाद के बालू खनन क्षेत्रों में मानसून अवधि में बालू अवैध खनन के सम्बंध में :–** जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत बालू खनन क्षेत्रों में वर्तमान में मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) होने के कारण खनन संक्रियायें पूर्णतः प्रतिबंधित है। तत्क्रम क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य न होने पाये, यदि उक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा खनन कार्य किया जाना पाया जाता है तो उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अवैध खनन में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये साथ ही ड्रोन की सहायता से विडियोंग्राफी कर उ0प्र0–दिल्ली सीमा पर खनन के सम्बंध में निगरानी रखी जाये। इसके अतिरिक्त सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी को निर्देशित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन की पुनरावर्ति करता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, लोनी, सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(2) **बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र से साधारण बालू के परिवहन के सम्बंध में:–** जनपद गाजियाबाद में स्वीकृत बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों से साधारण बालू परिवहन के सम्बंध में निर्देशित किया गया कि उक्त क्षेत्रों से बालू का परिवहन नियमानुसार व वैध अभिवहन प्रपत्रों द्वारा ही किया जाये।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, लोनी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद, सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(3) **साधारण मिट्टी के अवैध खनन के सम्बंध में :–** उक्त के सम्बंध में निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद में बिना अनुमति प्राप्त किये किसी प्रकार का मिट्टी खनन न होने पाये। किसानों द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु अपनी कृषि भूमि से 100 घ0मी0 तक मिट्टी खनन करने वाले किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये अथवा अनुमति से अधिक मात्रा या अधिक गहराई में खनन किया जाये, तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सम्बंधित तहसील स्तर से पूर्व पत्र सं0 419/ख0अनु0–गाजि0 /25–26 दिनांक 25.04.2025 में दिये गये निर्देशानुसार जांच कर अवैध खनन में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। चैन युक्त एक्सकेवेटर मशीनों द्वारा अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम अर्थदण्ड अधिरोपित कराया जाना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन की पुनरावर्ति करते पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी, सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(4) **जनपद गाजियाबाद में उपखनिजों के अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहनों के सम्बंध में :–** जनपद गाजियाबाद में अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहनों के सम्बंध में अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियबाद/प्रभारी खनन को निर्देशित किया गया कि गत 06 माह में उपखनिजों के अवैध खनन की पुनरावर्ति करते पकड़े गये वाहनों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद)

(5) **ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारणों को नियमित किये जाने के सम्बंध में :–** इस सम्बंध में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में उपखनिज के भण्डारणों हेतु 02 आवेदन प्राप्त हुये, जिसके क्रम में समस्त औपचारिकताओं के उपरान्त भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, सदर व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(6) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा नई आवासीय योजना ''हरनन्दीपुरम'' के सम्बंध में :–

इस सम्बंध में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय पत्र सं0 837 V/12/भू0अ0अ0/2025 दिनाक 14.01.2025 में उल्लिखित ग्रामो में खनन कार्यालय स्तर से मिट्टी खनन सम्बधित कोई भी अनुमति निर्गत नहीं की जा रही हैं। उक्त ग्रामों में स्थापित ईट भट्ठों द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त अपने ईट–भट्ठे का विभागीय पोर्टल **upmines.upsdc.gov.in** पर पंजीकरण कर नियमानुसार विनियमन शुल्क जमा कराकर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वत: जनित भट्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसके अन्तर्गत ईट निर्माण हेतु मिट्टी की निकासी काश्तकारों की सहमति प्राप्त कर किया जा रहा है। इस स्थिति में विनियमन शुल्क जमा कराकर मिट्टी आपूर्ति के लिये मिट्टी की निकासी करने वाले ईट–भट्ठों को मिट्टी की निकासी करने से रोकने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

उक्त के सम्बंध में निर्देशित किया गया कि मानसून सत्र होने के कारण यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य न हो। मानसून सत्र समाप्त होने के उपरान्त ईट–भट्टा संचालन एवं मिट्टी खनन के सम्बंध में कार्ययोजना बनायी जायेगी।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, सदर व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
SAURABH BHATT
Date: 22-07-2025
18:14:35

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद</u>

पत्र सं0:– 616 /गाजियाबाद टास्क फोर्स/25–26 दिनांक: 25/07/2025

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

Annexure-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
   P.S. (थाना): ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0251
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 01/06/2024 19:10

2.	**S.No. (क्र.सं.)**	**Acts (अधिनियम)**	**Sections (धारा(एँ))**
	1	भा दं सं 1860	379
	2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
	3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
	4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
	5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
	6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(1)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. **Day (दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 14/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 02:00 बजे **Time To (समय तक):** 02:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 01/06/2024 **Time (समय):** 19:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 041 **Date & Time (दिनांक और समय):** 01/06/2024 19:10 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 07 किमी **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): यमुना नदी ग्राम पचायरा क्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** किरनपाल गौतम

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1979

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पचायरा ,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पचायरा ,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8700063290

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रली चालक अज्ञात व्यक्ति उपरोक्त के			1. अज्ञात,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर .... सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद महोदय, अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2024 की रात्रि 02.00 बजे थाना ट्रोनिका सिटी के ग्राम पचायरा में उपजिलाधिकारी लोनी, तहसीलदार लोनी एवं खनन अधिकारी लोनी की संयुक्त टीम द्वारा यमुना नदी का आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यमुना नदी में 02 जेसीबी मशीन, 02 ट्रैक्टर एवं 07 ट्रली मौके पर खनन करते हुए पाये गये। जाँच टीम को देखकर उक्त खननकर्ता 02 जेसीबी मशीनो में से एक जेसीबी मशीन चालक, मशीन को लेकर दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ उक्त मशीन दिल्ली प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत नदी में फस गयी है। उक्त मशीन के संबंध में कार्यवाही हेतु दिल्ली पुलिस/प्रशासन को सूचित किया गया। मौके से खनन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति रात्रि में अन्धेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये। जच टीम द्वारा मौके से 01 जेसीबी मशीन (इंजन सं H00394753), 02 ट्रैक्टर (रजि नं0 HR-10 AC-1627 एवं ट्रैक्टर महिन्द्रा 575 लाल बिना नम्बर) एवं 07 ट्रली जब्त की गयी, जिन्हे स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका है। प्रश्नगत प्रकरण की जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को कोई खनन पटटा खनन हेतु स्वीकृत नही है, घटना में मौके से फरार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उक्त जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर-ट्रली द्वारा उपखनिज साधारण बालू का चोरी से अवैध खनन/परिवहन किया जा रहा था, जो खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 व 21 तथा उप्र उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 3,

58 व 72 का उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध है। अतः अनुरोध है कि उपखनिज साधारण बालू का चोरी से अवैध खनन/परिवहन में शामिल उक्त अज्ञात व्यक्तियों एवं वाहन स्वामियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे। ह0 अपठित 01/6/2024 (किरनपाल गौतम) क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पचायरा तहसील लोनी M.No. 8700063290 .... नोट मैं है0का0 215 रोहित कुमार प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व चिक मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर का0 2090 नितिन कुमार द्वारा टंकित करायी गयी अलावा तकनीकि त्रुटि के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mukesh Kumar **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 0952492292 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA INCHARGE
Rank SI (Sub-Inspector)
No. 9454405104

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	अज्ञात					

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

Annexure-4

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0 :- 93 /ख0अनु0–गाजि0/2023–24 दिनांक: 30/11/2024

सहायक पुलिस आयुक्त,
सब–डिविजन, समयपुर बदली,
आउटर नोर्थ दिल्ली।

विषयः– दिल्ली की ओर अवैध खनन कर यमुना की धारा को उत्तर प्रदेश की तरफ परिवर्तित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सुमित मन्डार व अन्य ग्रामवासी ग्राम पचायरा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिल्ली के कुछ लोग (प्रवीन, रविन्दर, अशोक, करनसिंह आदि) द्वारा जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत यमुना नदी में स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–1 व पचायरा खण्ड–2 के मध्य दिल्ली की ओर पोकलेन मशीन एवं लिफ्टर का प्रयोग करके बालू का अवैध खनन किया जा रहा है तथा यमुना नदी की धारा को परिवर्तित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

यहाँ अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में 02 बालू खनन पट्टा क्रमशः (1) पचायरा खण्ड–1 व (2) पचायरा खण्ड–2 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है, जिनमें बालू खनन पट्टा पचायरा खण्ड–1 पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने का कारण बंद है तथा बालू खनन पट्टा पचायरा खण्ड–2 को अधिकांश खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण बंद है। इस प्रकार जनपद गाजियाबाद के स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र में वर्तमान में खनन कार्य बंद है। अवैध खनन के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों की जांच किये जाने पर प्रायः देखा गया है कि दिल्ली की ओर से कुछ व्यक्तियों द्वारा रात्रि में बालू का अवैध खनन किया जाता है, जिस पर पूर्व में कार्यवाही भी की गयी थी, जिसमें 01 जे0सी0बी0 दिल्ली की ओर भाग गयी थी, जिसके सम्बंध में सम्बंधित थाने को सूचित भी किया गया था। इसके अतिरिक्त अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही के दौरान दिल्ली की ओर से साधारण बालू का अवैध परिवहन किया जाना देखा गया है, परन्तु अन्य राज्य की सीमा होने के कारण उक्त वाहनों पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

अतः उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2024 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर यमुना नदी क्षेत्र में दिल्ली की ओर किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कराने एवं सम्बंधित थानाध्यक्षों को निगरानी रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

30/11/24

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

प्रेषक,

Annexure-5

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नार्थ –ईस्ट
नई दिल्ली

संख्या 102 /खनिज अनु0–गाजि0 / 24–25 दिनांक04/ दिसम्बर,2024

विषय :– दिल्ली की ओर अवैध खनन कर यमुना की धारा को उत्तर प्रदेश की तरफ परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री सुमित मन्डार व अन्य ग्रामवासी ग्राम पचायरा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16–11–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि " दिल्ली के कुछ लोग(प्रवीन, रविन्दर, अशोक, करन सिंह आदि) द्वारा जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत यमुना नदी में स्वीकृत बालू खनन पटट्ा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–1 व पचायरा खण्ड–2 के मध्य दिल्ली की ओर पोकलेन मशीन एव लिफ्टर का प्रयोग करके बालू का अवैध खनन कर रहे है तथा उनके द्वारा यमुना नदी की धारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यहाँ अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी में 02 बालू खनन पटट्े क्रमशः (1)पचायरा खण्ड–1 व (2) पचायरा खण्ड–2, 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है, जिनमें बालू खनन पटट्ा पंचायरा खण्ड–1 में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के कारण खनन कार्य बन्द है तथा बालू खनन पटट्ा पचायरा खण्ड–2 का अधिकांश खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण उसमें भी खनन कार्य बन्द है। इस प्रकार जनपद गाजियाबाद के स्वीकृत बालू खनन पटट्ा क्षेत्रो में वर्तमान में खनन कार्य पूर्णतः बन्द है।

खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निरन्तर अवैध खनन/परिवहन में की जा रही जॉच कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि जॉच के दौरान देखा गया कि यमुना नदी में दिल्ली की ओर से बालू की बोरियों एवं बॉस बल्ली की सहायता से बॉध जैसी संरचना तैयार कर रात्रि में साधारण बालू का अवैध खनन किया जा रहा है,जिस कारण यमुना नदी की प्राकृतिक सम्पदा एवं नदी की जलधारा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16–11–2024 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संल्गन कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जॉच कराकर यमुना नदी क्षेत्र में दिल्ली की ओर से किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाते हुए अवैध खननकर्ताओं के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही कराने एवं सम्बन्धितों को सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अवगत भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) **P.S. (थाना):** ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0622 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 17/12/2024 20:06 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 17/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/12/2024 **Time (समय):** 20:06 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 066

Date and Time (दिनांक और समय): 17/12/2024 20:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्वोत्तर, 05 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): ग्राम पचायरा क्षेत्र ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सौरभ चतुर्वेदी

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1994 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-88875XXXXX

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाइप शुदा हिन्दी वादी..... सेवा में,प्रभारी निरीक्षक,थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद। विषयः-प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में। महोदय,कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा होमगार्ड श्री अजय कुमार, श्री दिनेश कुमार, सोहनवीर सिंह व श्री गगन के साथ ग्राम पचायरा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पचायरा के समीप दिल्ली व उत्तर प्रदेश सीमा पर ग्राम तेहरी दौलतपुर, दिल्ली व ग्राम सुंगरपुर, दिल्ली के मध्य यमुना नदी की धारा में आशिंक बांध बनाकर साधारण बालू का खनन होता देखा गया। कार्यवाही के दौरान 01 जेसीबी वाहन चालक अज्ञात व 01 ट्रैक्टर मय ट्रली वाहन चालक अज्ञात अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये, मौके पर 01 ट्रैक्टर मय ट्रली चेसिस सं MBNBEBDYZLNJ0327 वाहन चालक राकेश को साधारण बालू का अवैध परिवहन करते हुये पकड़ा गया, जिसमें लगभग 14 घमी साधारण बालू लदी थी। उक्त वाहन को पकड़कर थाना ट्रोनिका सिटी में खड़ा कराया गया है।अतः उक्त वाहन ट्रैक्टर मय ट्रली चेसिस सं MBNBEBDYZLNJ0327 मय उपखनिज 14 घमी साधारण बालू सहित अपनी अभिरक्षा में लेते हुये वाहन चालक राकेश, वाहन स्वामी अज्ञात तथा फरार जेसीबी व ट्रैक्टर मय ट्रली वाहन चालक/स्वामी अज्ञात के विरूद्ध यमुना नदी में आंशिक बांध बनाकर खनिज सम्पदा की चोरी करने एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने व भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, sd अपठित 17/12/24 (सौरभ चतुर्वेदी) खान अधिकारी गाजियाबाद। नोट - मैं है0का0 1526 मुसब्बिर हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व मुकदमा मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर का0 3730 अनुज चौधरी द्वारा टंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): THANA INCHARGE TRONICA CITY (उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक)/9454405104 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA INCHARGE TRONICA CITY

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 9454405104

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) **P.S. (थाना):** ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 11/01/2025 14:55 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	**Acts (अधिनियम)**	**Sections (धारा(एँ))**
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** शनिवार **Date from (दिनांक से):** 11/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/01/2025 **Time (समय):** 14:48 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039

Date and Time (दिनांक और समय): 11/01/2025 14:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 5 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव बदरपुर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री सौरभ चतुर्वेदी

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-88875XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट, गाजियाबाद विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध मे । महोदय कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 11/01/2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा होमगार्ड श्री अजय कुमार , श्री सोहनवीर सिंह, श्री दिनेश कुमार एंव श्री महेश कुमार के साथ ग्राम बदरपुर हरमपुर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान ग्राम बदरपुर हरमपुर के समीप दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना तट पर साधारण बालू का अवैध खनन होता देखा गया । कार्यवाही के दौरान01 ट्रैक्टर लोडर चालक अज्ञात अधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया ,मौके पर 01 ट्रैक्टर मय ट्रोली चैसिस न0 MBNGAANUURRC-15948 मय उपखनिज साधारण बालू मात्रा 14 धन मी0 एंव 01 ट्रोली मय साधारण बालू मात्रा 8.75 घन मी0 को अवैध परिवहन करते हुए पकडा गया । उक्त वाहनो के चालक मौके से फरार हो गये तथा होमगार्ड द्वारा चलवाकर थाना ट्रोनिकासिटी मे खडा कराया गया है । अतः उक्त वाहनो 01 ट्रैक्टर मय ट्राँली चेसिस न0 MBNGAANUURRC-15948 मय उपखनिज 14 घन मी0 साधारण बालू एंव 01 ट्राँली मय उपखनिज 8.75 घन मी0 अपनी अभिरक्षा मे लेते हुए वाहन स्वामी अज्ञात का फरार ट्रैक्टर लोडर वाहन चालक/ स्वामी अज्ञात के विरूद्ध यमुना नदी से खनिज संपदा की चोरी करने एंव खान एंव खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1967 की धारा 4 व 21 तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने व भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओ मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कष्ट करे। ह0 अंग्रेजी अपठित 11-01-25 भवदीय (सौरभ चतुर्वेदी) खान अधिकारी गाजियाबाद 88875XXXXX-- नोट- मैं है0का0 1526 मुसब्बिर हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर म0है0का0 511 किरन द्वारा टंकित करायी गयी । अलावा तकनीकि त्रुटि के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): THANA INCHARGE TRONICA CITY (उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक)/9454405104 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA INCHARGE TRONICA CITY

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 9454405104

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Annexure-8

संयुक्त जांच आख्या

कार्यालय ज्ञाप संख्या 227/ख0अनु0–गाजि0/24–25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा ग्राम पचायरा खण्ड–2, गाटा सं0 303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 रकबा 8.512 है0, जो दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह के पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टे पर नियम विरूद्ध खनन किये जाने की निरन्तर प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत बालू खनन पट्टे की जौंच किये जाने हेतु गठित 03 सदस्यीय समिति को उक्त क्षेत्र की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम में 03 सदस्यीय समिति उपजिलाधिकारी लोनी, खान अधिकारी, गाजियाबाद व वरिष्ठ सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2 का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 20.01.2025 को किया गया। बिन्दूवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. निरीक्षण के दौरान स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र में सभी पिलर यथा स्थान लगे हुए पाये गये।
2. पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो के अन्तर्गत जांच के दौरान पौधे लगे पाये गये तथा अपशिष्टों के निस्तारण के लिये कुड़ेदान भी रखे गये है, साथ ही खनन स्थल पर जल छिड़काव करने की व्यवस्था भी की गयी है।
3. जांच के दौरान स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र में नियमानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे पाये गये, जो मौके पर संचालित है तथा वे–ब्रिज भी कार्यरत पाया गया।
4. निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य किया जाना पाया गया।
5. पट्टाधारक द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तानुसार खनन स्थल पर साधारण बालू का विकय मूल्य प्रदर्शित करते हुये बोर्ड लगाया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान मौके पर किसी प्रकार के अवैध खनन के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुए।
7. वर्षा ऋतु काल समाप्त होने के उपरान्त उक्त क्षेत्र की जांच दिनांक 17.10.2024 व दिनांक 24.11.2024 को की गयी थी, जिसमें प्रश्नगत बालू खनन पट्टा क्षेत्र का अधिकांश भाग जलमग्न होने के कारण पट्टा संचालित होता नहीं पाया गया था। पट्टाधारक द्वारा देय बकाया किश्त को जमा करने एवं जल स्तर कम हो जाने के उपरान्त दिनांक 07.01.2025 से खनन कार्य आरम्भ किया गया है, परन्तु वर्तमान में अभी भी पट्टा क्षेत्र का आंशिक भाग जल मग्न है।

निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक को सख्त निर्देश दिये गये कि किसी भी दशा में नदी की जलधारा में खनन कार्य न किया जाये तथा नियमानुसार सीमांकित क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य किया जाये। साथ ही पट्टाधारक को ओवरलोडिंग एवं बिना ई–एम0एम0–11 के उपखनिज का परिवहन न किया जाये, के सम्बंध में भी निर्देशित किया गया। (निरीक्षण के दौरान मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है।)

अतः उपरोक्त जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

312/ST-SDM Loni

21/01/25   21-1-25

वरिष्ठ सर्वेक्षक
21/1/25 क्षेत्रीय कार्यालय
गाजियाबाद।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

उपजिलाधिकारी
लोनी।
उपजिलाधिकारी
लोनी

Annexure-9

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नोर्थ ईस्ट दिल्ली।

पत्र सं0 :– 321 /ख0अनु0–गाजि0/2024–25 दिनांक: 20/03/2025

विषय:– दिल्ली की ओर से अवैध खनन किये जाने करने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 102/खनिज अनु0–गाजि0/24–25 दिनांक 04.12.2024 व 93/ख0अनु0–गाजि0/2023–24 दिनांक 30.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यमुना नदी में दिल्ली की ओर से किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बंध में अवगत कराते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में यहाँ पुनः अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2025 को खान अधिकारी, गाजियाबाद एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम नौरसपुर तहसील लोनी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर ग्राम सुंगरपुर, दिल्ली की ओर लगभग 12000 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है। उक्त अवैध खनन आपके सीमा क्षेत्र में किया गया है तथा उक्त अवैध खनन के सम्बंध में आपके स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त खान अधिकारी गाजियाबाद द्वारा मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित याचिका सं0 OA No. 1003/2024 Mr. Ashok Kumar and Anr. Versus State of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में दिनांक 11.03.2025 को सायं लगभग 05.00 बजे बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा (खण्ड–2) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालू खनन क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 में मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया, परन्तु यमुना नदी के दूसरी ओर दिल्ली की तरफ काफी बड़े स्तर पर नदी की जलधारा में सक्शन पम्प, लिफ्टर व नॉव आदि की सहायता से साधारण बालू का अवैध खनन होता देखा गया। दिल्ली की ओर किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बंध में कई बार दिल्ली प्रशासन को अवगत कराया गया परन्तु अवैध खननकर्ताओं द्वारा खुले–आम निरन्तर अवैध खनन किया जा रहा है, जिस कारण मा0 एन0जी0टी0 में उ0प्र0 राज्य की छवि भी धुमिल होती है एवं जो खनन पट्टे जनपद में नियमानुसार राजस्व जमा कर कार्य करते है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यमुना नदी की जलधारा में दिल्ली की ओर से किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि यमुना नदी क्षेत्र में दिल्ली की ओर से किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कराने एवं सम्बंधित थानाध्यक्षों को निगरानी रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– जांच के दौरान लिये गये फोटो व विडियों।

20/3/2025

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Annexure-10

जांच आख्या

मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित याचिका सं0 OA No. 1003/2024 Mr. Ashok Kumar and Anr. Versus State of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दू सं0 11 व 13 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"11. Respondents no. 3, 4, 5 and 6 are directed to file additional responses with reference to the factual position shown in the video CDs.

13. The District Magistrate, Ghaziabad and the Commissioner of Police Ghaziabad are directed to take all requisite steps for ensuring that no illegal mining takes place in the mining lease sites in question."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में तथा जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय के आदेश दिनांक 25.02.2025 के क्रम में दिनांक 31.03.2025 को अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद व ज्येष्ठ खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा (खण्ड–2) का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बालू खनन क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 में मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.02.2025 व जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान बालू पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा (खण्ड–2) में खनन किये जाने के कोई नये चिन्ह परिलक्षित नहीं हुए। मौके पर समस्त पिलर लगे पाये गये। आवेदक श्री अशोक कुमार द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत 13 विडियों में से 04 विडियो मात्र 1 से 3 सेकिण्ड की होने के कारण उनमें अनियमितता की पुष्टि नहीं हो पा रही है तथा शेष 09 विडियों में दिखाये गये क्षेत्र का विवरण, समय व दिनांक न होने के कारण प्रश्नगत विडियों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं है। आवेदक द्वारा समीप की फसलों/खेती के नुकसान के सम्बंध में की गयी शिकायत की मौके पर जांच की गयी। निरीक्षण के दौरान आस–पास के क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी पायी गयी तथा मौके पर की जा रही खेती/फसलों आदि को खनन किये जाने पर किसी प्रकार का नुकसान होना नहीं पाया गया तथा यमुना नदी को अपने स्वभाविक रूप में बहता पाया गया।

जॉचोपरान्त समिति का यह मत है कि प्रस्तुत विडियों कई वर्ष पुराना प्रतीत होता है, जिसकी वर्तमान में पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं है।

मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स सहित आख्या सेवा में सादर प्रेषित हैं।

(हस्ताक्षर) 31-03-2025
ज्येष्ठ खान अधिकारी
गाजियाबाद।

(हस्ताक्षर) 31/3/25
अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनन)
गाजियाबाद।

Annexure-11

जांच आख्या

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद महोदय के कार्यालय पत्र सं0 581/ख0अनु0–गाजि0/2025–26 दिनांक 02.07.2025, जिसके द्वारा मानसून सत्र में बालू खनन क्षेत्र में खनन संकियायें पूर्णतः बंद किये जाने के निर्देश दिये गये है, के कम में जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में साधारण बालू के 05 वर्षीय बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2, गाटा सं0 303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 रकबा 8.512 है0 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय की जांच टीम के साथ दिनांक 09.07.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

निरीक्षण के दौरान बालू खनन पट्टा क्षेत्र में मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) होने के कारण खनन संकियायें पूर्णतः बंद पायी गयी। मौके पर किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं पायी गयी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में प्रस्तुत है।

10/07/25

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

खनन अनुभाग

पत्र सं0:–685/ख0अनु0–गाजि0/2025–26 दिनांक:12.8.2025

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, नोर्थ ईस्ट, दिल्ली।
2. जिलाधिकारी, नोर्थ, दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. जिलाधिकारी, बागपत।
5. पुलिस अधीक्षक, बागपत।
6. उप आयुक्त पुलिस, नोएडा।
7. उप आयुक्त पुलिस, ग्रेटर नोएडा।
8. उप आयुक्त पुलिस, नोर्थ ईस्ट, दिल्ली।
9. उप आयुक्त पुलिस, नोर्थ, दिल्ली।
10. उप आयुक्त पुलिस, ग्रामीण।

विषयः– उ0प्र0–दिल्ली राज्य की सीमा क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिये दिनांक 13.08.25 समय 04:00 PM बजे आहुत बैठक में प्रतिभाग किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 I/028836/2025 दिनांक 17.07.2025 एवं अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र सं0 मुमस/162/(अ0मु0स0) चौतीस–3/अधि0/2025 दिनांक 16.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री, दिल्ली के पत्र संख्या CMO/2025/1542 दिनांक 07.07.2025 द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश देने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 17.07.2025 द्वारा जिलाधिकारी नोर्थ, दिल्ली एवं जिलाधिकारी नोर्थ ईस्ट दिल्ली व अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर कार्ययोजना बनाने व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0–दिल्ली राज्य की सीमा क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिये दिनांक 13.08.25 समय 04:00 PM बजे VC के माध्यम से संयुक्त बैठक आहुत की गयी है।

अतः अपेक्षा है कि उपरोक्त आहुत बैठक में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– बैठक के एजेण्डा बिन्दु।

भवदीय,

(रविन्द्र कुमार मॉदड़)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी खनन, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आहुत बैठक के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

INTER-STATE COORDINATION MEETING TO PREVENT UNAUTHORIZED MINING

Brief Summary

1. **Statutory and Administrative measures to regulate River Sand mining**
    a. Under **section 15 of MMDR Act, 1957**, state of UP has **framed Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021** and **The Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018** to ensure regulated mining and prevent illegal and unauthorized mining in the state.
    b. Policy matters regarding river bed sand mining are dealt by Department of Geology and Mining, UP Government and execution of guidelines issued by the department is ensured by Directorate of Geology and Mining, Lucknow.
    c. At the district level, **District Officer/ District Magistrate** is the overall authority for mineral administration: Holding auctions for mining leases, preventing illegal mining and transportation as the head of District level Task Force and imposing penalty against violators are the key functions performed by DM.
    d. The District Magistrate is assisted by an Additional District Magistrate as authorized by him and Mines Officer deputed by Directorate of Geology & Mining for day-to-day administration and regulatory enforcement.
    e. Apart from above, **District Level Task Force** to prevent illegal mining and transportation with following composition has been instituted: -

Sl. No.	**Officer**	**Post**
1.	District Magistrate, Ghaziabad	President
2.	Dy. Commissioner of Police, Rural	Member
3.	Additional DM (Finance/Revenue)	Member
4.	Divisional Forest Officer, Ghaziabad	Member
5.	SDM, Sadar/Loni/Modinagar	Member
6.	ACP, Loni	Member
7.	Additional RTO	Member
8.	Mines Officer, Ghaziabad	Member Secretary

Regular enforcement under the supervision of state government is carried out by the said taskforce to ensure no illegal mining and transportation happens within District jurisdiction.

2. **Status of Mining in District, Ghaziabad**

a. Following areas have been found suitable for Mining leases as per District Survey Report, Ghaziabad approved by SEIAA: -

S.no.	**Village/ Area**	**Lease Holder's name**	**Tenure**
1.	Pachayra Khand-2 (12.500 Ha)	New Panther Security Guard Services	5yrs (12.11.2021 to 11.11.2026)
2.	Nauraspur (1.81 Ha)	Nirmal Sand & Infra.	6 months (05.05.2025 to 04.02.2026)
3.	Pachayra Khand-1 (16.183 Ha)	-	5 years (Pending for EC)
4.	Badarpur (7.28 Ha)	-	6 Months (Pending for EC)

Currently Area 1 &2 are operational after obtaining Environmental Clearance from SEIAA, Consent to Operate from UP PCB to ensure availability of sand in the market while generating revenue to the tune of Rs.6,17,00,000/- approximately to the exchequer.

Note: *As per SSMG all the mining sites are closed during the monsoon season i.e. July to September*.

3. **Issues identified in Delhi- UP border areas in District Ghaziabad:**

a. Apart from the mining leases issued by Ghaziabad District administration, complaints regarding illegal mining in Yamuna River bed were received earlier by the District Level Taskforce. During surprise inspections, few sites were identified namely Sungarpur Village, Badarpur Harampur village and Sonia Vihar village. Since the areas identified lie in the jurisdiction of Delhi, no action against landholders could be taken by Ghaziabad administration.

b. FIRs were registered against the illegal act and letters were sent from District Magistrate, Ghaziabad to Delhi administration to take action against landholders on Delhi side.

c. Also, illegal mining has been observed to be happening with the use of fully mechanized suction lifters on the banks of river Yamuna on Delhi side which has been strictly prohibited under SSMG, 2016 and ESMG, 2020 guidelines of MoEFCC and various judgement of Hon'ble NGT.

AGENDA to be discussed

1. Creation of inter-state Joint Task force on the lines of District Level Task Force for joint action if any illegal mining is detected.
2. Nominating members from the local administration of both sides for quick communication and prompt action.
3. Taking action under relevant mining laws as well as Hon'ble court guidelines against illegal miners & transporters.
4. Taking action against landholders on whose land illegal sand mining has taken place to create deterrence.

प्रेषक,

Annexure-13

सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक : 861 /पर्या./सामान्य/2023 दिनाँक 27 दिसम्बर, 2024

विषयः- District Survey Report (DSR) of District- Ghaziabad के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या 1703/डी0एस0आर0 दिनांक 28.10.2024 द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट डी0एस0आर0- जनपद गाजियाबाद को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03.12.2024 तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उ0प्र0 की बैठक दिनांक 17.12.2024 मे 04 पट्टो हेतु निम्न शर्तो के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. The District Survey Report (DSR) shall be updated once in five years as mentioned in MoEF&CC, Govt. of India Notification No. S.O. 141(E), dated 15/01/2016, as per laid down procedure, under intimation to SEIAA.
2. 04 mining lease areas are approved in the final District Survey Report.
3. If any new lease is identified, Sub-Divisional Committee will follow the entire procedure every time on the basis of existing DSR.
4. After approval of DSR from SEIAA, the District Administration shall upload the DSR in public domain along with Lease Wise Digital Maps showing the status of deposits and pillar wise coordinates of existing and proposed areas.
5. The District Administration shall utilize the District Mineral Foundation Funds as per notification no. 866/86-2017-132/2016 dated 15/05/2017 issued by Department of Geology and Mining, Government of U.P. or any modification in it by competent authority.
6. DMF fund should also be utilized for the environmental protection, development and maintenance of haulage road.
7. The lease shall periodically conduct audits of operative mine leases and take corrective measures as per the directions of District Administration in case of adverse observations and, a yearly report on this shall be sent to SEIAA as compliance.
8. During DSR formulation a sub-committee is formed at District level and representative of Forest Department is a member in this sub-committee, so it is expected that they examine the issue of distance of forest area from the mining lease as well as distance of protected area (as per Wildlife Protection act 1972) from the mining lease. Hence, a certificate signed by an officer not below the rank of ACF shall be submitted with-in 15 days that the leases do not lie within any protected area, National Park, sanctuary and ESZ.
9. Cluster EIA shall be conducted for the leases in Ghaziabad. District Magistrate and DGM are advised to inform the lease holders, at the time of issuance of LoI that cluster EIA should be conducted.
10. Replenishment study on the basis of which the mineral availability is assessed should be uploaded on websites of District and Mining Department Uttar Pradesh and submitted to

SEIAA along with methodology adopted for study and details like geo-coordinates etc. of study points.

11. The District shall prepare a schedule for conducting replenishment study annually. This study should be done by a reputed Central or State Govt. institute and should be uploaded on the websites of district, Geology and Mining Department and submitted to SEIAA on its website. Quantity mined and auctioned shall be strictly based on replenishment study. District administration as well as Mining Department will follow all norms and procedure to ensure no illegal mining takes place.
12. Mining Department shall be responsible for demarcating the leases where-ever needed after the monsoon.
13. Details of social and environmental preservation work done like name of the villages, health care facility, School etc. under DMF should be uploaded on district website and submitted to SEIAA.

समिति/प्राधिकरण की बैठक मे लिये गये निर्णय के आलोक मे सम्बन्धित कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0

1467

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली–25

प्रेषित,

जिलाधिकारी महोदय,
गाजियाबाद।

पत्रांक:– 4052 /है0व0ख0/खनन/अनापत्ति/ दिनांक: 19/10/2024

विषय:– जनपद गाजियाबाद हेतु Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार तैयार की गयी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) के लिये अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक–2077/ख0अनु0–गाजि0/2024–25/दिनांक 03.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र द्वारा जनपद गाजियाबाद हेतु Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार तैयार की गयी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) के लिये इस खण्ड द्वारा अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में वांछना की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	खनन क्षेत्र	गाटा संख्या	रूकबा
1	ग्राम पचायरा खण्ड–1, तहसील लोनी	8मि0, 9 मि0, 10मि0, 11मि0, 12मि0, 13मि0, 17मि0, 18, 19, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0	16.183 हे0
2	ग्राम पचायरा खण्ड–2, तहसील लोनी	303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314 मि0, 297मि0 , 298मि0, 302मि0, 311 मि0, 312 मि0, 313 मि0, 314 मि0	12.500 हे0
3	ग्राम नौरसपुर, तहसील लोनी	1	1.81 हे0
4	ग्राम बदरपुर, तहसील लोनी	282, 283, 284, 246, 247 से 252, 237 से 239, 234, 235, 236, 240 से 244, 194 से 209, 210 से 212, 182 से 187, 253 मि0, 245, 229, 228मि0, 213, 214मि0, 233 मि0, 230 मि0	7.28 हे0

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता–पंचम , है0व0ख0 के पत्रांक सं0 670/स0अ0पं0/दिनांक –17.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में प्रचलित शासनादेश के सन्दर्भ में इस कार्यालय के जिलेदार पंचम, है0व0ख0 द्वारा दिनांक 15.10.2024 को स्थलीय पैमाइश की गयी, जिसमें उपरोक्त 4 प्रस्तावित खनन क्षेत्रों के समस्त गाटा सं0 तटबन्ध से 600 मी0 की परिधि से दूरी पर है। उपरोक्त खनन क्षेत्रों का जिला सर्वेक्षण रिर्पोट (डी0एस0आर0) में Updation हेतु वांछित अनापत्ति प्रमाण की संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है।

1. शासनादेश संख्या 2160/11–18–11–98–254/97, दिनांक 15.06.1998 (छायाप्रति संलग्न) में निहित प्राविधान के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में खनन पट्टा अलीपुर तटबंध से नदी की दिशा में 600 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का खनन कार्य करने की अनुमति न दी जाये।
2. सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यमुना नदी में निर्मित शैंक/अन्य संरचनाओं का प्रयोग खनन वाहनों के यातायात हेतु नहीं किया जाएगा।
3. अलीपुर तटबन्ध की सुरक्षा के दृष्टिगत तटबंध पर किसी भी प्रकार के भारी वाहनों का वाणिज्यिक आवागमन वर्जित है। तटबंध का उपयोग किए जाने की दशा में तटबन्ध की सड़क मरम्मत एवं पुर्नस्थापना की प्राक्कलित क्षतिपूर्ति धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा सिंचाई विभाग के पक्ष में प्रत्येक वर्ष खनन प्रारम्भ करने के पूर्व इस खण्ड को चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से SBI Account SGLO Executive Engineer, Head works division Agra canal Okhla New Delhi-110025 के पक्ष मे जमा कराना होगा।

4. पट्टा धारकों द्वारा सिंचाई विभाग की अलीपुर तटबंध की सड़क/अन्य निर्मित संरचनाओं को क्षति पहुंचाने पर उनके विरूद्ध उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम की धारा–8 सन् 1873 के अर्न्तगत सुसंगत धाराओं में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
5. खनन का कार्य करते समय आम जनमानस को यातायात में असुविधा न हो, इसका पूर्णता पालन करना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा खनन के दौरान नदी की धारा को अवरूद्ध नहीं किया जाये।
7. बाढ काल में यमुना नदी के अन्तर्गत तटबन्ध की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुये खनन कार्य अनुमन्य नहीं होगा।
8. माननीय उच्च न्यायालय ,मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. यह अनापत्ति वित्तीय वर्ष 2024–25 मे जनपद गाजियाबाद हेतु Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार तैयार की गयी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) के क्रम में वैध है। उपरोक्त प्रतिबन्धों में से किसी भी प्रतिबन्ध के उल्लघंन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांकः /है0व0ख0/खनन/अनापत्ति/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा।
2. सहायक अभियन्ता– पंचम, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली–25 को उनके पत्र सं0:–670/स0अ0पंचम0/दिनांक 17.10.2024 के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

Phone-0120-2783617
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : /14–1 दिनांक, गाजियाबाद 21 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय: जनपद गाजियाबाद हेतु Standard Operating Procedure (SOP) जांच के अनुसार तैयार की गयी जिला सर्वेक्षण क्षेत्रिय वन अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार (डी0एस0आर0) वन अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–2076/ख0अनु0 गा0जि0/2024–25 दिनांक 03.10.2024,

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ दिनांक–03.10.2024 को राजस्व, खनिज, वन, प्रदूषण एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त सर्वेक्षण आख्या व मानचित्र संलग्न किया गया है। जिसमें उल्लिखित है कि ग्राम पचायरा (खण्ड–1) आराजी गाटा सख्या 8 मि0, 9 मि0, 10 मि0, 11 मि0, 12 मि0, 13 मि0, 17 मि0, 18, 19, 20 मि0, 21 मि0, 22 मि0, 25 मि0, 26 मि0, 27 मि0, 30 मि0, 37 मि0, 38 मि0, 39 मि0, 40 मि0, 41 मि0, 53 मि0, 54 मि0, 55 मि0, 56 मि0, 57 मि0, 237 मि0, 238 मि0, 239 मि0, 240 मि016.183 हे0 व पचायरा (खण्ड–2) आराजी गाटा सख्या 290 मि0,297 मि0 298मि0 301 मि0, 302 मि0 303, 303 मि0 304 मि0, 311 मि0, 312 मि0, 313 मि0 314 मि0 12.500 हे0 व ग्राम नौरसपुर, के आराजी गाटा सख्या 1 व 1.81 हे0 बदरपुर (खण्ड–2) के आराजी गाटा सख्या 282, 283, 284, 246, 247 से 252, 237 से 239, 234, 235, 236, 240 से 244, 194 से 209, 210 से 212, 182 से 187, 253 मि0, 245,229, 228 मि0, 213, 214 मि0,233मि0,230मि0, क्षेत्र धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन नहीं है, पत्रांक–465 सख्या दिनांक–16.10.2024 वन क्षेत्राधिकारी, गाजियाबाद की निरीक्षण रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि अहमदनगर नवादा आरक्षित वन ब्लाक से ग्राम पचायरा खण्ड–1 व 2, ग्राम नौरसपुर तथा बदरपुर खण्ड–2 क्रमशः 17 कि0मी0 दूर आरक्षित वन ब्लॉक व 7 कि0मी0 की दूरी संरक्षित वन क्षेत्र पर हैं । खनन कार्य से वनावरण/वृक्षारोपण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना न होने के कारण वन अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–728 (3)/14–2–2008–65/2004–टी0सी0–3,दिनॉक20.02. 2008एव1483 (3)/14–2–08–65/2004–टी0सी0–3 दिनॅाक 04.06.2008 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र में संशोधन करते हुये उक्त क्षेत्रो पर बालू खनन हेतु निम्नलिखित शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।तथा प्रश्नगत क्षेत्र धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन से 100 मीटर परिधि के बाहर है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित है कि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई पेड़ पौधा मौजूद नहीं है तथा खनन कार्य किये जाने से पर्यावरण वृक्षावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टेधारक आवेदक को निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धो का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा:–

1449/ST
ADM F(E)
SDM LONI
RK
ADM-E
GZB
23/10/2

1. खनन संकिया प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नगत खनन क्षेत्र का वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की उपस्थिति में पीलर द्वारा सीमांकन कर, पीलरो की जी०पी०एस० रीडिंग वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि यदि पाया गया कि पट्टेधारक अपने लीज क्षेत्र से हटकर वन क्षेत्र (धारा 20 में विज्ञापित) में अथवा वन क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में खनन कार्य किया जा रहा है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगी।

2 भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानो का पालन किया जायेगा।

3. शासनादेश संख्या 304/18–11–98–29/98 दिनांक–19.01.1998 के पैरा–1 व 2 तथा सहपठित शासनादेश संख्या–1225/10–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 एवं 1954/18–11–98–29/98 दिनांक 23.04.1998 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

.I० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

5. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

6. परिवहन हेतु वन क्षेत्र/वन मार्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जायेगा, मानचित्र में प्रदर्शित अभिवहन मार्ग से अन्य किसी भिन्न मार्ग से खनिज का अभिवहन किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा, ताकि सक्षम स्तर से अनुमति जारी करने की कार्यवाही किया जा सके। यदि अधोहस्ताक्षरी को बिना अवगत कराये मानचित्र में प्रदर्शित अभिवहन मार्ग से अन्य, किसी भिन्न मार्ग का प्रयोग किया जाता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7. वन अपराध होने की दशा में खनन एवं परिवहन कार्य रोक देने का अधिकार वन विभाग को होगा।

8. वन अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन कालांतर होने पर उल्लिखित शर्तों में संशोधन करने अथवा समाप्त करने का अधिकार वन विभाग को होगा।

9. अनुज्ञा पत्र/पट्टा की अवधि समाप्त होते समय नवीनीकरण के पहले वन विभाग से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

10. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी समय खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र का मौका मुआयना व फील्ड जांच किये जाने का अधिकार होगा, जिसमें पट्टा धारक द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा तथा समस्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

11. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल उसी क्षेत्र के लिए मान्य होगा जिसके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया और परिवहन अनुज्ञा पत्र उसी क्षेत्रफल व सीमा क्षेत्र के लिए निर्गत किया गया है। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।

12. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

13. खनन स्थल के आस–पास स्थित वृक्षों एवं वन्य जीवों को हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।

14. शासनादेश संख्या–1483 (3)/14–2–08–65/2004–टी०सी०–3, दिनांक–04.06.14 2008 के अनुसार निम्नलिखित शर्त का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा–
खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जा रहा है, उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के दौ सौ फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण सिंचाई एवं फेन्सिंग के साथ अपने निजी स्रोतों से करेंगे। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामले में प्रति एकड़ 200 वृक्ष उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा। एक एकड़ से अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे, जो पूर्णांक में होगा। पट्टाधारक द्वारा कराये गये वृक्षरोपण की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त वृक्षरोपण की जांच की जा सकती है तथा पट्टाधारक द्वारा ऐसी जांच में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा, वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने की दशा में वन विभाग की निर्धारित दरों पर पौधरोपण हेतु धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों में यदि किसी भी शर्त तथा भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देशो का उल्लंघन यदि पट्टाधारक द्वारा किया जाता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग गाज़ियाबाद

F:Joshi Ji/Jiladhikari, Gzb-48

क्रमशः..3/-48

(3)

क्रांक : 1473 /14–1 दिनांकित, 1471

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी प्रशासन, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. खनन अधिकारी, गाजियाबाद।
5. वन क्षेत्राधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

REPORT ON MINING ACTIVITY AT VILLAGE- PANCHAYARA, TEHSIL-LONI, DISTRICT-GHAZIABAD (UTTAR PRADESH)

IN THE MATTER OF HON'BLE NGT (PB)

Mr. Ashok Kumar & Anr. Vs State of UP

in

(Original Application No. 1003/2024)

1. Background:

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide order 04.11.2024 in the matter of Mr. Ashok Kumar & Anr. Vs State of UP in Original Application No. 1003/2024 directed for constitution of a Joint Committee comprising District Magistrate Ghaziabad, Divisional Forest Officer, Ghaziabad, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB'), and, Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB') and to submit a factual report in the matter.

Relevant para of the Hon'ble NGT order is as below: -

"*3. Looking to the allegation made in the original application, we are prima facie of the view that a substantial question relating to environment has arisen out of implementation of enactments mentioned in Scheduled-I of NGT Act, 2010, but, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate Ghaziabad; Divisional Forest Officer, Ghaziabad; Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB'); and, Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB')*

4. CPCB shall be nodal agency for coordination and compliance.

5. Above committee shall collect relevant information after visiting the site and submit factual report within one month.

6. List this matter on 05.12.2024."

Copy of the referred order of Hon'ble NGT is enclosed at Annexure No 1.

2. In compliance of said order, following officials were nominated from the concern Department:

- Sh. Saurabh Bhatt, ADM(F&R), Ghaziabad
- Sh. Gaurav Gehlot, Scientist 'C', CPCB, Delhi
- Ms.NimiKuchiya, FRO, Divisional Forest Office, Ghaziabad
- Sh. Anshul Sharma, AEE, UPPCB, RO, Ghaziabad

The joint committee carried out the site visit on 30.11.2024 by. During visit, following officials/persons were also present:

- Sh. SaurabhChaturvedi, Mining Officer, Ghaziabad
- Sh. Arvind Kumar, Scientist 'B', CPCB, Delhi
- Sh. Sanjay Kumar, Dy. RO, Divisional Forest Office, Ghaziabad
- Sh. Praveen Gaud,Representative of the project proponent

4. General observation during the site visit of leased mining area at Village-Panchayara, Loni, Ghaziabad:

Observations based on site visit and records issued made available by UP PCB RO Ghaziabad and Mining Department Ghaziabad are as follows:

➢ Environmental Clearance (herein to be referred as "EC') was granted for **sand / moramminingby** State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) Uttar Pradesh on **27.05.2021** to Shri Bani Singh, Salasar Complex, 306 Shankar Vihar Colony, Quaarsi, Aligarh – 202001 (M/s New Panther Security Guard Service) vide letter no. 27/Parya/SEAC/5793/2019 dated 27.05.2021 for mineable area (**8.512 Ha**) out of total lease area as **12.512 Ha**. The EC was further amended on 29.09.2021 vide letter no. 201/SEAC/5793/2019 dated **29.09.2021**. (The copy of EC and amended EC is annexed as Annexure-2 and 3).

➢ Lease under Article 35 through e-stamp with Certificate Number IN-UP94105203936034T was registered on 08.10.2021 with M/s. New Panther Security Guard Service (Shri Bani Singh S/o Shri Raghunath Singh)for mining of 1,77,737 cubic meter (per annum) for 05 years at Tehsil-Loni Gram-PanchyaraKhand Number 02 Gata No.303 mi, 313 mi, 290 mi, 301 mi, 303 mi, 304 mi, 314 mi, 297 mi, 298 mi, 302 mi, 311 mi, 312 mi, 313 mi & 314 mion 8.512 Hectare area. (Annexure-4)

➢ Consolidated Consent to Operate (CTO) and Authorization under Section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 was granted by UPPCB on **07.01.2023** for

a period from 14.12.2022 to 30.12.2026. (Copy of Consolidated CTO is annexed as Annexure-5)

- The date of start of mine was 12.11.2021. A per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, the total quantity of mineral excavated from the start of mine is tabulated as below:

Year	Quantity Permitted (m^3)	Quantity Excavated (m^3)
Nov 2021-Oct 2022	177736.8	85851
Nov 2022-Oct 2023	177736.8	81750
Nov 2023-Oct 2024	177736.8	142402

- The co-ordinates of mining areas are as below:

Pillars	Latitude (N)	Longitude (E)
A	28°48'1.02" N	77°12'19.63" E
B	28°47'49.56" N	77°12'17.52" E
C	28°47'39.12" N	77°12'19.04" E
A'	28°47'39.35" N	77°12'13.26" E
B'	28°47'48.74" N	77°12'10.86" E
C'	28°48'2.80" N	77°12'13.01" E

- Mining Officer Ghaziabad informed last District Survey Report was prepared in 2017. It was amended on 02.03.2019 which included present lease area (copy of amendment is annexed as Annexure- 6).The draft for District Survey Report(2024) has been issued on 05.07.2024 in public domain and final DSR is under finalization by District Administration.

- Project Proponent informed that the replenishment study report was conducted during 2021-22 & 2022-23,however, the same was not made available to committee member during visit.

- During site visit on 30.11.2024 by joint committee, mining activity was not observed on the site. Project Proponent informed that mining activity was discontinued after 30.06.2024 (due to monsoon period) and not started since 30.06.2024 to till date. Mining Officer Ghaziabad informed that transport permit has not been issued after 30.06.2024.

- A camp office and weigh bridge was observed constructed by project proponent. It was informed by project proponent that all machinery for mining activity are hired through third party and the same is not hired from 30.06.2024 onwards.

- During site visit by joint committee, winter migratory birds (Common swift or swallows, Sea gulls, Moorhen etc.) were observed (photographs attached).

5. Observation regarding issues raised in the compliant:

Issues raised related to mining violations:-

- The mining is being carried out beyond the allotted limit / Being carried out beyond the sanctioned Lease Area / Carrying out mining outside the coordinates / works for more than the allotted time in a day / doing illegal mining work at night by taking out sand up to 100 feet below with the help of lifter boat machine (para 3)
- constructed a two dams (Bandh), (para 5)
- the proponent is mining the sand much deep from the bottom of the river, from approximately 20-30 feet below which is impermissible, with help of the poclain and other heavy machines, (para 7)
- carrying out illegal mining in No. 310-309,(para 10)
- making very deep pits by building a dam.(para 12)

Observation:-

- Mining activity was not observed on day of visit of joint committee. Project Proponent informed that mining activity was discontinued after 30.06.2024 (due to monsoon period) and not started since 30.06.2024 to till date. Mining Officer Ghaziabad informed that transport permit has not been issued after 30.06.2024.Excavation mark were not observed on the sand deposit in the mid of the river which also indicated that mining has not been carried out after monsoon.
- Illegal mining by project proponent has been observed earlier by District Authorities, a notice was issued to project proponent by Mining section, ADM Office Ghaziabad on dated 09.05.2024 for illegal mining of 840 cubic meter of ordinary sand out and accordingly fine was imposed on project proponent as per rules.(Annexure-7)

Issues raised to Green beltdevelopment: -

- That the proponent was also required to plant 625 trees on both the sides of the haul road, (para 7)

Observation:-

- The project proponent informed that the trees were planted in mining lease area which were damaged during flooding in year 2023, however, no plantation wasobserved by the committee.

Issues raised to impact on Adjacent Agricultural Land:-

- Adjacent agricultural land situated on the banks of Yamuna are being affected and are in the danger of completely becoming an uncultivated land. (para 9)

Observations: -

- At present agriculture land near the lease area was not found affected.

Issues raised to Mine operation: -

- Breached the limit for the number of vehicle allowed to be deployed at the mining site, 34 vehicles are allowed. (para 4)
- Deploying heavy machineries, the use of poclain machines and other such machines (para 6)
- The proponent has not adopted the practice of regularly sprinkling the water during the transition of the vehicles. (para 8)

Observations:-

- Mining activity was not carried out on the day of visit. It was informed by Mining Officer Ghaziabad that transport permit has not been issued after 30.06.2024. Compliance of these points can be enforced during mining operation.

6. Conclusions / Recommendations:

1. The mining department should carry out vigil during day as well as night and ensure that no illegal mining takes place in Yamuna river.

2. The EC issued by SEIAA Uttar Pradesh stipulated the method of mining as opencast Semi-Mechanized therefore, heavy machinery and lifter boat should not be allowed near the river.

3. Stringent action should be taken against any persons foundcarrying out illegal mining, using heavy machinery and lifter boats near the river, and obstructing flow of the river.

4. Compliance of following salient requirements must be ensured by Project and Mining Department before allowing further mining:

    - Installation the boundary pillars as per co-ordinates & Environmental Clearance conditions.

    - Adequate plantation in time bound manner as per Environmental Clearance conditions.

- Replenishment study of the area about mining deposits as per Environmental Clearance conditions.

- Hydrogeological study to ascertain the impact on river channel and water table as per Environmental Clearance condition (no 16).

5. Environmental compensation for illegal mining of 840 cubic meter quantity of ordinary sand may belevied as per Approach 2 scale approved by Hon'ble NGT vide order dated 26.02.2021 in the matter of OA No. 360/2015.

Joint Committee Members:

Sh. Saurabh Bhatt, ADM(F&R), Ghaziabad	3/12/24
Sh. Gaurav Gehlot, Scientist 'C', CPCB, Delhi	
Ms. NimiKuchiya, FRO, Divisional Forest Office, Ghaziabad	
Sh. Anshul Sharma, AEE, UPPCB, RO, Ghaziabad	

प्रेषक,

खान अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रसं0 :- 699 /ख0अनु0-गाजि0/25-26 दिनांकः 19.08.2025

विषयः- अवैध खनन एवं परिवहन पर पूर्ण व प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

महोदया ,

कृपया निदेशालय के पत्र स० 1174/एम-शिकायत/गाजियाबाद दिनांक 14.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे, जिसके द्वारा श्री कृष्ण दत्त त्यागी व अन्य निवासी- ग्राम तेहड़ी दौलतपुर, थाना-अलीपुर, दिल्ली-36(राजस्व) के दिनांक रहित शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओ की जांच निदेशालय की जांच समिति से कराये जाने के उपरांत समिति द्वारा प्रस्तुत जांच दिनांक 24.11.2024 के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अविलम्ब अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

जांच दिनांक 24.11.2024 के सन्दर्भ में जनपद गाजियाबाद स्तर से की गयी कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

1. जाँच आख्या मे उल्लिखित **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0251** दिनांक **01.06.2024** के सन्दर्भ मे मा० न्यायालय मे **चार्जशीट स० 01** विवेचना उपरांत दिनांक **24.11.2024** को दाखिल की गयी, जिसमे सतवीर पुत्र वेदी निवासी ग्राम पचायरा, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद , राजेश पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम नानू, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, संजय पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पचायरा तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, विपिन पुत्र ओम प्रकाश निवासी नूरपुर खालसा, बागपत को आरोपी बनाया गया है| **(संलग्नक-1)**

2. उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट **संख्या 0622 दिनांक 17.12.2024** एवं **0016 दिनांक 11.01.2025** थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद में दर्ज करायी गयी एवं दिल्ली प्रदेश के अधिकारियों को उक्त अवैध खनन दिल्ली प्रदेश सीमा में किये जाने के सम्बन्ध मे सूचना दिनांक **30.11.2024, 04.12.2024 एवं 20.03.2025** को भेजे गए पत्रों के माध्यम से दी गयी| **(संलग्नक-2, 3, 4, 5, 6)**

3. जांच आख्या में वर्णित दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री, दिल्ली के **पत्र संख्या 1542 दिनांक 07.07.2025** के क्रम में सीमा निर्धारण की कार्यवाही उच्च स्तर से प्रक्रियाधीन है |

4. जांच आख्या में उल्लेखित "*एक संयुक्त टास्क फ़ोर्स का गठन कर यमुना नदी के किनारों पर हो रहे अवैध खनन को रोका जाए*" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक **13.08.2025** को दिल्ली प्रदेश के नार्थ दिल्ली व नार्थ-ईस्ट दिल्ली तथा उ०प्र० के जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व बागपत के प्राशासनिक तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो के बीच यमुना नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के विषय पर **संयुक्त बैठक** का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। उक्त बैठक में जिलाधिकारी नोर्थ ईस्ट दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि दिल्ली प्रदेश में यमुना नदी में किसी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है, जिसके कारण कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाता है तथा किसी प्रकार की टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है। दिल्ली में खनन पाये जाने पर सम्बंधित राजस्व विभाग अथवा पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। नोर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में 2-3 वर्ष पहले अवैध खनन के चिन्ह मिले थे तथा कुछ समय पहले बालू का स्टाक भी देखा गया था, परन्तु 01 वर्ष में उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की कोई गतिविधि नहीं मिली है।

बैठक मे मुख्यतः Joint Inter-state Task Force के गठन हेतू आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं यमुना नदी पर अवैध खनन पर त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से दोनों प्रदेशो के सम्बंधित अधिकारियो के मध्य Communication Plan स्थापित किया जाने तथा दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के निर्धारण से पूर्व सम्बंधित तहसील के अधिकारियों के मध्य Table-Top exercise कराने के सम्बन्ध में सहमति बनी तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है | **(संलग्रक-7)**

अतःउपरोक्त तथ्यों से अवगत होने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,
19/08/25

(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0 प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी,
गाजियाबाद।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : ACJ SD 4 (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
P.S. (थाना): ट्रोनिका सिटी — Year(वर्ष): 2024
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0251 — Date(दिनाँक): 01/06/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनाँक): 24/11/2024

4.

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का	4
3	खान एवं खनिज (विकास का	21
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	72(1)

5. Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार): आरोप पत्र

6. If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया): मूल

8. **Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):** Mukesh Kumar

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No. (सं.):**0952492292

9. (a) (क) **Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):**
किरनपाल गौतम

(b) (ख) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :**

10. **Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:**
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No (क्रं. सं.)	Property Description (सम्पत्ति का विवरण)	Estimated Value (in Rs.) (अनुमानित मूल्य (रु.में))	Police Station Property Register No. (थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	From whom/ where revered or seized (कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	Disposal (निराकरण)

11. **Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):**

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) **Name** संजय

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) **Father's Name(पिता का नाम):** प्रकाश

(iii) **Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष):** 1984

(iv) **Sex(लिंग):** पुरुष

(v) **Nationality(राष्ट्रियता):** भारत

(vi) **Passport No.(पासपोर्ट संख्या):**

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिक सिटी, गा0बाद, ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिक सिटी, गा0बाद, ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली,	72(1)

2021

(xvi) **Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):**

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) **Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):**

(xviii) **Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति):** पुलिस द्वारा जमानत

(xix) **Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :**

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 2

(i)Name विपिन

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii)Father's Name(पिता का नाम): ओमप्रकाश

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1994

(iv)Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi)Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii)Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	नूरपुर खालसा थाना खेकडा , जिला बागपत , बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	नूरपुर खालसा थाना खेकडा , जिला बागपत , बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii)Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii)Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv)Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

स.सी.आर.बी)
फार्म -V)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

S. No.(क्रं.सं.): 3

(i) Name सतवीर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): वेदी

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1984

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिट, गा0बाद , ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिट, गा0बाद , ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा द सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

एन.सी.आर.बी.) I.I.F.-V

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 4

(i) Name राजेश
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): सत्यपाल

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1989

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी , गा0बाद, ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी , गा0बाद, ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली,	72(1)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

2021

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मोo नंo)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	किरनपाल गौतम / 8700063290		1979		वर्तमान पता: क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पचायरा ,,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत	शिकायतकर्ता

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी,
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

					स्थायी पता: क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पचायरा ,,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत	
2	है0का0 215 रोहित कुमार /	:			वर्तमान पता: गाजियाबाद ,थाना ट्रोनिका सिटी जनपद ,ट्रोनिका सिटी,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: गाजियाबाद ,थाना ट्रोनिका सिटी जनपद ,ट्रोनिका सिटी,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
3	उ0नि0 मुकेश कुमार Pno. 952492292 /	:			वर्तमान पता: थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ,ट्रोनिका सिटी,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा **182/211 / 217/248** बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

आरोपपत्र...............श्रीमान जी वादी मुकदमा श्री किरनपाल गौतम क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पचायरा तहसील लोनी गा0बाद M.No. 8700063290 की तहरीर के आधार पर थाना लोनी गा0बाद पर मु0अ0सं0 251/2024 धारा 379 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम , 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ0नि0 को सुपुर्द हुई । मुझ उ0नि0 द्वारा विवेचना ग्रहण कर संपादित की गयी । दौरानें विवेचना वादी मुकदमा के कथन अंकित किये गये तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । जिसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त में जब्त की गयी जे.सी.बी व ट्रेक्टर के रजि0नं0 को ई.चालान एप पर डालकर चैक किया गया तो मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी नूरपुर खालसा थाना खेकडा जिला बागपत तथा अभियुक्त संजय पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिक सिटी गा0बाद का नाम प्रकाश में आया । जिनकी तलाश पतारसी सुरागरसी की गयी । अभियुक्तगण विपिन व संजय उपरोक्त के मसकन पर मौजूद मिलनें पर

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

अभियुक्तगण को नोटिस धारा 41क दप्रसं की शर्तो से अवगत कराते हुए नोटिस तामील कराया गया तथा बयान अंकित किये गये। अभियुक्तगण विपिन व संजय उपरोक्त के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण सतवीर पुत्र वेदी निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद तथा अभियुक्त राजेश पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण सतवीर व राजेश उपरोक्त को भी नोटिस धारा 41क दप्रसं की शर्तो से अवगत कराते हुए नोटिस तामील कराया गया। बाद तामील नोटिस कथन अंकित किये गये। मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, व अन्य तमामी प्राप्त साक्ष्यों से अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिक सिटी गा0बाद, 2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी नूरपुर खालसा थाना खेकडा जिला बागपत 3.सतवीर पुत्र वेदी निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद और 4. राजेश पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद के विरूद्ध जुर्म धारा धारा 379 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम , 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 का बाखूबी साबित है। अभियुक्तगण 1. संजय, 2. विपिन, 3.सतवीर, 4. राजेश उपरोक्त का चालान जरिये आरोपपत्र अन्तर्गत धारा धारा 379 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम , 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 मे मा0 न्यायालय किया जाता है। मा0 न्यायालय से निवेदन है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दंड से दंडित करने की कृपा करें। विवेचना द्वारा आरोप पत्र समाप्त की जाती है।

17.Refer Notice served हाँ **Date(दिनाँक):**
(जारी किए नोटिस):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 23/11/2024

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): THANA INCHARGE TRONICA

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 9454405104

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Mukesh Kumar

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 0952492292

ृत जाँच फार्म-

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) **P.S. (थाना):** ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0622 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 17/12/2024 20:06 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 17/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/12/2024 **Time (समय):** 20:06 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 066

Date and Time (दिनांक और समय): 17/12/2024 20:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्वोत्तर, 05 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): ग्राम पचायरा क्षेत्र ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सौरभ चतुर्वेदी

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1994 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-88875XXXXX

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाइप शुदा हिन्दी वादी..... सेवा में,प्रभारी निरीक्षक,थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद। विषयः-प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में। महोदय,कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा होमगार्ड श्री अजय कुमार, श्री दिनेश कुमार, सोहनवीर सिंह व श्री गगन के साथ ग्राम पचायरा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पचायरा के समीप दिल्ली व उत्तर प्रदेश सीमा पर ग्राम तेहरी दौलतपुर, दिल्ली व ग्राम सुंगरपुर, दिल्ली के मध्य यमुना नदी की धारा में आशिंक बांध बनाकर साधारण बालू का खनन होता देखा गया। कार्यवाही के दौरान 01 जेसीबी वाहन चालक अज्ञात व 01 ट्रैक्टर मय ट्रली वाहन चालक अज्ञात अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये, मौके पर 01 ट्रैक्टर मय ट्रली चेसिस सं MBNBEBDYZLNJ0327 वाहन चालक राकेश को साधारण बालू का अवैध परिवहन करते हुये पकड़ा गया, जिसमें लगभग 14 घमी साधारण बालू लदी थी। उक्त वाहन को पकड़कर थाना ट्रोनिका सिटी में खड़ा कराया गया है।अतः उक्त वाहन ट्रैक्टर मय ट्रली चेसिस सं MBNBEBDYZLNJ0327 मय उपखनिज 14 घमी साधारण बालू सहित अपनी अभिरक्षा में लेते हुये वाहन चालक राकेश, वाहन स्वामी अज्ञात तथा फरार जेसीबी व ट्रैक्टर मय ट्रली वाहन चालक/स्वामी अज्ञात के विरूद्ध यमुना नदी में आंशिक बांध बनाकर खनिज सम्पदा की चोरी करने एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने व भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, sd अपठित 17/12/24 (सौरभ चतुर्वेदी) खान अधिकारी गाजियाबाद। नोट - मैं है0का0 1526 मुसब्बिर हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व मुकदमा मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर का0 3730 अनुज चौधरी द्वारा टंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): THANA INCHARGE TRONICA CITY (उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक)/9454405104 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA INCHARGE TRONICA CITY

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 9454405104

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) **P.S. (थाना):** ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 11/01/2025 14:55 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** शनिवार **Date from (दिनांक से):** 11/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/01/2025 **Time (समय):** 14:48 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039

Date and Time (दिनांक और समय): 11/01/2025 14:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 5 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव बदरपुर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री सौरभ चतुर्वेदी

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-88875XXXXX

7\. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**

8\. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9\. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10\. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11\. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट, गाजियाबाद विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध मे । महोदय कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 11/01/2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा होमगार्ड श्री अजय कुमार , श्री सोहनवीर सिंह, श्री दिनेश कुमार एंव श्री महेश कुमार के साथ ग्राम बदरपुर हरमपुर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान ग्राम बदरपुर हरमपुर के समीप दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना तट पर साधारण बालू का अवैध खनन होता देखा गया । कार्यवाही के दौरान01 ट्रैक्टर लोडर चालक अज्ञात अधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया ,मौके पर 01 ट्रैक्टर मय ट्रोली चैसिस न0 MBNGAANUURRC-15948 मय उपखनिज साधारण बालू मात्रा 14 धन मी0 एंव 01 ट्रोली मय साधारण बालू मात्रा 8.75 घन मी0 को अवैध परिवहन करते हुए पकडा गया । उक्त वाहनो के चालक मौके से फरार हो गये तथा होमगार्ड द्वारा चलवाकर थाना ट्रोनिकासिटी मे खडा कराया गया है । अतः उक्त वाहनो 01 ट्रैक्टर मय ट्रॉली चेसिस न0 MBNGAANUURRC-15948 मय उपखनिज 14 घन मी0 साधारण बालू एंव 01 ट्रॉली मय उपखनिज 8.75 घन मी0 अपनी अभिरक्षा मे लेते हुए वाहन स्वामी अज्ञात का फरार ट्रैक्टर लोडर वाहन चालक/ स्वामी अज्ञात के विरूद्ध यमुना नदी से खनिज संपदा की चोरी करने एंव खान एंव खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1967 की धारा 4 व 21 तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने व भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओ मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कष्ट करे। ह0 अंग्रेजी अपठित 11-01-25 भवदीय (सौरभ चतुर्वेदी) खान अधिकारी गाजियाबाद 88875XXXXX-- नोट- मैं है0का0 1526 मुसब्बिर हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर म0है0का0 511 किरन द्वारा टंकित करायी गयी । अलावा तकनीकि त्रुटि के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): THANA INCHARGE TRONICA CITY (उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक)/9454405104 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA INCHARGE TRONICA CITY

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 9454405104

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

(संलग्नक-4)

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0 :– 93 /ख0अनु0–गाजि0/2023–24 दिनांकः 30/11/2024

सहायक पुलिस आयुक्त,
सब–डिविजन, समयपुर बदली,
आउटर नोर्थ दिल्ली।

विषयः– दिल्ली की ओर अवैध खनन कर यमुना की धारा को उत्तर प्रदेश की तरफ परिवर्तित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सुमित मन्डार व अन्य ग्रामवासी ग्राम पचायरा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिल्ली के कुछ लोग (प्रवीन, रविन्दर, अशोक, करनसिंह आदि) द्वारा जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत यमुना नदी में स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–1 व पचायरा खण्ड–2 के मध्य दिल्ली की ओर पोकलेन मशीन एवं लिफ्टर का प्रयोग करके बालू का अवैध खनन किया जा रहा है तथा यमुना नदी की धारा को परिवर्तित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

यहाँ अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में 02 बालू खनन पट्टा क्रमशः (1) पचायरा खण्ड–1 व (2) पचायरा खण्ड–2 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है, जिनमें बालू खनन पट्टा पचायरा खण्ड–1 पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने का कारण बंद है तथा बालू खनन पट्टा पचायरा खण्ड–2 को अधिकांश खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण बंद है। इस प्रकार जनपद गाजियाबाद के स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र में वर्तमान में खनन कार्य बंद है। अवैध खनन के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों की जांच किये जाने पर प्रायः देखा गया है कि दिल्ली की ओर से कुछ व्यक्तियों द्वारा रात्रि में बालू का अवैध खनन किया जाता है, जिस पर पूर्व में कार्यवाही भी की गयी थी, जिसमें 01 जे0सी0बी0 दिल्ली की ओर भाग गयी थी, जिसके सम्बंध में सम्बंधित थाने को सूचित भी किया गया था। इसके अतिरिक्त अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही के दौरान दिल्ली की ओर से साधारण बालू का अवैध परिवहन किया जाना देखा गया है, परन्तु अन्य राज्य की सीमा होने के कारण उक्त वाहनों पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। 1505

अतः उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2024 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर यमुना नदी क्षेत्र में दिल्ली की ओर किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कराने एवं सम्बंधित थानाध्यक्षों को निगरानी रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

30/11/24
अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/24
अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

 (संलग्नक-5)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नार्थ –ईस्ट
नई दिल्ली

संख्या 102 /खनिज अनु0–गाजि0/24–25 दिनांक04/ दिसम्बर,2024

विषय :– दिल्ली की ओर अवैध खनन कर यमुना की धारा को उत्तर प्रदेश की तरफ परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री सुमित मन्डार व अन्य ग्रामवासी ग्राम पचायरा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16–11–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि " दिल्ली के कुछ लोग(प्रवीन, रविन्दर, अशोक, करन सिंह आदि) द्वारा जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत यमुना नदी में स्वीकृत बालू खनन पटट्ा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–1 व पचायरा खण्ड–2 के मध्य दिल्ली की ओर पोकलेन मशीन एव लिफ्टर का प्रयोग करके बालू का अवैध खनन कर रहे है तथा उनके द्वारा यमुना नदी की धारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यहाँ अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी में 02 बालू खनन पटटे क्रमशः (1)पचायरा खण्ड–1 व (2) पचायरा खण्ड–2, 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है, जिनमें बालू खनन पटट्ा पंचायरा खण्ड–1 में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के कारण खनन कार्य बन्द है तथा बालू खनन पटट्ा पचायरा खण्ड–2 का अधिकांश खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण उसमें भी खनन कार्य बन्द है। इस प्रकार जनपद गाजियाबाद के स्वीकृत बालू खनन पटट्ा क्षेत्रो में वर्तमान में खनन कार्य पूर्णतः बन्द है।

खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निरन्तर अवैध खनन/परिवहन में की जा रही जॉच कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि जॉच के दौरान देखा गया कि यमुना नदी में दिल्ली की ओर से बालू की बोरियों एवं बॉस बल्ली की सहायता से बॉध जैसी संरचना तैयार कर रात्रि में साधारण बालू का अवैध खनन किया जा रहा है,जिस कारण यमुना नदी की प्राकृतिक सम्पदा एवं नदी की जलधारा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16–11–2024 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संल्पन कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जॉच कराकर यमुना नदी क्षेत्र में दिल्ली की ओर से किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाते हुए अवैध खननकर्ताओं के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही कराने एवं सम्बन्धितों को सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अवगत भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

(संलग्नक-6)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नोर्थ ईस्ट दिल्ली।

पत्र सं0 :– 321 /ख0अनु0–गाजि0/2024–25

दिनांकः 20/03/2025

विषयः– दिल्ली की ओर से अवैध खनन किये जाने करने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 102/खनिज अनु0–गाजि0/24–25 दिनांक 04.12.2024 व 93/ख0अनु0–गाजि0/2023–24 दिनांक 30.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यमुना नदी में दिल्ली की ओर से किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बंध में अवगत कराते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में यहाँ पुनः अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2025 को खान अधिकारी, गाजियाबाद एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम नौरसपुर तहसील लोनी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर ग्राम सुंगरपुर, दिल्ली की ओर लगभग 12000 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है। उक्त अवैध खनन आपके सीमा क्षेत्र में किया गया है तथा उक्त अवैध खनन के सम्बंध में आपके स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त खान अधिकारी गाजियाबाद द्वारा मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित याचिका सं0 OA No. 1003/2024 Mr. Ashok Kumar and Anr. Versus State of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में **दिनांक 11.03.2025** को सायं लगभग 05.00 बजे बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा (खण्ड–2) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालू खनन क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 में मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया, परन्तु यमुना नदी के दूसरी ओर दिल्ली की तरफ काफी बड़े स्तर पर नदी की जलधारा में सक्शन पम्प, लिफ्टर व नॉव आदि की सहायता से साधारण बालू का अवैध खनन होता देखा गया। दिल्ली की ओर किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बंध में कई बार दिल्ली प्रशासन को अवगत कराया गया परन्तु अवैध खननकर्ताओं द्वारा खुले–आम निरन्तर अवैध खनन किया जा रहा है, जिस कारण मा0 एन0जी0टी0 में उ0प्र0 राज्य की छवि भी धुमिल होती है एवं जो खनन पट्टे जनपद में नियमानुसार राजस्व जमा कर कार्य करते है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यमुना नदी की जलधारा में दिल्ली की ओर से किये जा रहे साधारण बालू के अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि यमुना नदी क्षेत्र में दिल्ली की ओर से किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाते हुये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कराने एवं सम्बंधित थानाध्यक्षों को निगरानी रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– जांच के दौरान लिये गये फोटो व विडियों।

20/3/2025

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

<u>दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन/परिवहन की रोकथाम के लिये कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आहूत बैठक दिनांक 13.08.2025 की कार्यवृत :-</u>

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र सं0 मुमस/162/(अ0मु0स0) चौतीस-3/अधि0/2025 दिनांक 16.07.2025 व सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 I/028836/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 13.08.2025 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की रोकथाम के लिये Joint Inter-State Demarcation एवं कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुये :-

क्र0सं0	पदनाम	विभाग
1	जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद	राजस्व
2	जिलाधिकारी, नोर्थ ईस्ट, दिल्ली	राजस्व
3	अपरजिलाधिकारी, नोर्थ, दिल्ली	राजस्व
4	अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाज़ियाबाद	राजस्व
5	सहायक पुलिस आयुक्त, बुराड़ी	पुलिस
6	सहायक पुलिस आयुक्त, ग्रेटर नोएडा	पुलिस
7	सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी	पुलिस
8	उपजिलाधिकारी, अलीपुर	राजस्व
9	खान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	खनन
10	खान अधिकारी, गाज़ियाबाद	खनन
11	खान निरीक्षक, बागपत	खनन

उपरोक्त आहूत बैठक के एजेन्डा बिन्दु निम्नवत् रहे :-

1. जनपद में गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की तरह अन्तर्राज्यीय संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाये तथा अवैध खनन का संज्ञान होने पर संयुक्त रूप से जांच कर कार्यवाही की जाये।

2. दिल्ली-उ0प्र0 सीमा पर अवैध खनन में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु तत्काल सम्पर्क किये जाने एवं त्वरित कार्यवाही किये जाने के लिये दोनों पक्षों के स्थानीय प्रशासन के सदस्यों को नामित किया जाना।

3. अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध खनन सम्बंधित नियमां एवं मा0 सक्षम न्यायालयों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना।

4. ऐसे भू-स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना, जिनके द्वारा अपनी भूमि पर अवैध बालू खनन किया अथवा कराया गया है।

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र सं0 मुमस/162/(अ0मु0स0) चौतीस-3/अधि0/2025 दिनांक 16.07.2025 व सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 I/028836/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री, दिल्ली के पत्र संख्या CMO/2025/1542 दिनांक 07.07.2025 द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की रोकथाम हेतु Joint Inter-State Demarcation के आवश्यक दिशा-निर्देश देने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 17.07.2025 द्वारा जिलाधिकारी नोर्थ, दिल्ली एवं जिलाधिकारी नोर्थ ईस्ट दिल्ली व अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर कार्ययोजना बनाने व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.08.2025 को बैठक आहुत की गयी, जिसमें निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया :-

(क) <u>जनपद गाजियाबाद में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही के सम्बंध में :-</u>

इस सम्बंध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय व अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि -

1. जनपद गाजियाबाद में अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है, जिसमें परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, खनन विभाग व पुलिस विभाग सदस्य है।

2. जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) के सदस्यों की नियमित रूप से बैठक आहूत की जाती है तथा अवैध खनन/परिवहन में प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्ययोजना बनाई जाती है।

3. टास्क फोर्स द्वारा जनपद में निरन्तर निरीक्षण/जांच कार्य करते हुये अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुये प्रभावी अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। तत्क्रम में जनपद में संचालित बालू खनन पट्टों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा अन्य प्रदेशों में जनपद में उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की भी जांच की जाती है।

(ख) <u>दिल्ली-उ0प्र0 सीमा पर यमुना नदी के आस-पास के क्षेत्रों में बालू अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश के सम्बंध में</u> :-

इस सम्बंध में जिलाधिकारी नोर्थ ईस्ट दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि -

1. दिल्ली प्रदेश में यमुना नदी में किसी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है, जिसके कारण कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाता है तथा किसी प्रकार की टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है। दिल्ली में खनन पाये जाने पर सम्बंधित राजस्व विभाग अथवा पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

2. नोर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में 2-3 वर्ष पहले अवैध खनन के चिन्ह मिले थे तथा कुछ समय पहले बालू का स्टाक भी देखा गया था, परन्तु 01 वर्ष में उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की कोई गतिविधि नहीं मिली है।

3. यमुना नदी में बोट की सहायता से ट्रोनिका सिटी क्षेत्र तक निरीक्षण किया गया, परन्तु नोर्थ-ईस्ट दिल्ली क्षेत्र में अवैध खनन के चिन्ह नहीं मिले। स्थानीय लोगों से वार्ता करने पर बताया गया कि कभी-कभी कुछ लोगों द्वारा खनन का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्त के सम्बंध में उपजिलाधिकारी, करावल नगर द्वारा अवगत कराया गया कि -

1. कुछ समय पूर्व नोर्थ दिल्ली क्षेत्र की ओर से ग्राम सुगंरपुर के पास कुछ बालू से लदे ट्रक देखे गये थे, जिन पर पर्यावरण नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

2. नोर्थ दिल्ली का अधिकांश भाग 70-80 प्रतिशत जनपद बागपत की ओर आता है। प्रश्नगत क्षेत्र ग्राम सुंगरपुर तथा बागपत की ओर से बालू से लदे वाहन आते देखे जाते है। इसलिये जनपद बागपत की ओर से इस सम्बंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. Joint Inter-State Demarcation के लिये जनपद बागपत के सम्बंधित अधिकारियों का भी बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है, जिससे जनपद बागपत की ओर से दिल्ली-उ0प्र0 सीमा को लेकर प्रथक से कार्यवाही न की जाये।

उपरोक्त के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली राज्य के पत्र द्वारा मुख्य रूप से यमुना नदी पर अवैध बालू खनन तथा दिल्ली-उ0प्र0 सीमा को लेकर विवाद का निस्तारण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, परन्तु वर्तमान में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। जल स्तर कम हो जाने पर दिल्ली-उ0प्र0 सीमा के सम्बंध में कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त यमुना नदी में अवैध खनन कर दिल्ली को ओर जाने वाले वाहनों तथा दिल्ली की ओर से उ0प्र0 सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कार्यवाही किये जाने हेतु दोनों राज्यों के सक्षम अधिकारियों अथवा पुलिस बल का आपस में सम्पर्क स्थापित किया जाना भी उचित होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बंध में समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नानुसार अपनी सहमति व्यक्त की गयी है :-

1. यमुना नदी पर अवैध खनन पर त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से दोनों प्रदेशो के सम्बंधित अधिकारियो के मध्य Communication Plan स्थापित किया जाना।

2. Joint Inter-State Demarcation के सम्बंध में उ0प्र0 की ओर से खान अधिकारी बागपत, उपजिलाधिकारी, बागपत/बड़ौत/खेकड़ा, उपजिलाधिकारी लोनी व दिल्ली प्रदेश की ओर से उपजिलाधिकारी करावल नगर, यमुना विहार व सीलमपुर आदि द्वारा सीमा सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुये 02 सप्ताह में 01 संयुक्त रूप से बैठक आयोजित कर Table Top Exercise की जाये, जिससे जल स्तर कम होने पर Joint Inter-State Demarcation पर कार्यवाही की जा सके।

3. Joint Inter-State Task Force का गठन कर अवैध खनन कर कार्यवाही किया जाना।

4. दोनों प्रदेशो के अधिकारियो के मध्य यमुना नदी क्षेत्र मे अवैध बालू खनन पर रोकथाम हेतू नियमित रूप से बैठक आहूत किया जाना।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय द्वारा Joint Inter-State Demarcation के सम्बंध में सम्बंधित अधिकारी को आवश्यक पत्राचार कर बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- समस्त सम्बंधित अधिकारी)

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई।

अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
गाजियाबाद।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद</u>

<u>खनन अनुभाग</u>

पत्र सं0- 692 /ख0अनु0-गाजि0/25-26 दिनांकः 18/08/2025

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
SAURABH BHATT
Date: 18-08-2025

अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
गाजियाबाद।

ANNEXURE-6

1512

<u>कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद</u>

<u>खनन अनुभाग</u>

पत्र सं0:— 759 / ख0अनु0—गाजि0 / 2025 दिनांक: 24/09/ 2025

उपजिलाधिकारी,
लोनी।

————————

विषयः— दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की रोकथाम एवं Joint Inter-State Demarcation हेतु आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन के सम्बंध में।

————————————————————————————

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 715 / ख0अनु0—गाजि0 / 2025 दिनांक 25.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की रोकथाम एवं Joint Inter-State Demarcation हेतु आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2025 के कार्यवृत संख्या 692 / ख0अनु0—गाजि0 / 25—26 दिनांक 18.08.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 02 सप्ताह के अन्दर दिल्ली प्रदेश की सम्बंधित तहसीलों एवं जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी तथा जनपद बागपत की सम्बंधित तहसीलों द्वारा संयुक्त रूप से बैठक आयोजित कर Table Top Exercise तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु Communication Plan स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों के कम में आपके पत्र सं0 4150 / एस0टी0—एसडीएम—लोनी / 2025 दिनांक 11.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिल्ली प्रदेश के उपजिलाधिकारी करावलनगर, यमुना विहार, सीलमपुर, अल्लीपुर एवं जनपद बागपत के उपजिलाधिकारी बागपत, बड़ौत, खेकड़ा तथा सम्बंधित पुलिस उपाधीक्षक व सहायक पुलिस आयुक्त के साथ समन्वय स्थापित कर Communication Plan स्थापित किये जाने हेतु Whatsapp Group बना लिया गया है।

यहॉ अवगत कराना है कि कार्यवृत दिनांक 18.08.2025 में दिये गये निर्देशानुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा के Joint Inter-State Demarcation हेतु Table Top Exercise किया जाना लम्बित है। उक्त कार्य के लिये Whatsapp Group पर हुई वार्तानुसार दिनांक 13.10.2025 समय 12.00 बजे अपरान्ह कार्यालय तहसील लोनी में बैठक नियत की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा के Joint Inter-State Demarcation हेतु Table Top Exercise किये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक आयोजित कर उक्त कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सकें।

संलग्नक :— यथोपरि।

24/9/25

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी बागपत, गौतमबुद्धनगर, नोर्थ दिल्ली व नोर्थ ईस्ट दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बंधित अधिकारियों को उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

ANNEXURE-7

1513

प्रेषक,

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
जिलाधिकारी, बागपत।
जिलाधिकारी, नोर्थ दिल्ली।
जिलाधिकारी, नोर्थ ईस्ट दिल्ली।

पत्रांकः— 757 / ख0अनु0 / टास्क फोर्स / 25—26 दिनांकः 24/09/2025

विषयः— **Joint Inter State Task Force के गठन हेतु अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिल्ली—उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन / परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही हेतु आहूत बैठक दिनांक 13.08.2025 के कार्यवृत सं0 692 / ख0अनु0—गाजि0 / 25—26 दिनांक 18.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें दिल्ली—उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र में यमुना नदी पर अवैध बालू खनन / परिवहन में प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही हेतु जनपद गाजियाबाद, जनपद गौतमबुद्धनगर, जनपद बागपत, जनपद नोर्थ दिल्ली व जनपद नोर्थ ईस्ट दिल्ली की Joint Inter State task Force का गठन किये जाने के सम्बंध में समस्त उपस्थित अधिकारियों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में जनपद गाजियाबाद की ओर से Joint Inter State task Force के गठन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है :—

क्र0सं0	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0
1	अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0) गाजियाबाद	राजस्व	8528180592
2	उपजिलाधिकारी, लोनी	राजस्व	9211085687
3	सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी	पुलिस	9643322910
4	खान अधिकारी, गाजियाबाद	खनन	8887534809
5	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), गाजियाबाद	परिवहन	9532218529

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने—अपने जनपदों की ओर से Joint Inter State task Force के गठन हेतु अधिकारियों को नामित करने की कृपा करें, जिससे ससमय शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकें।

भवदीय,

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः—

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनाथ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नामित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/9/25

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।